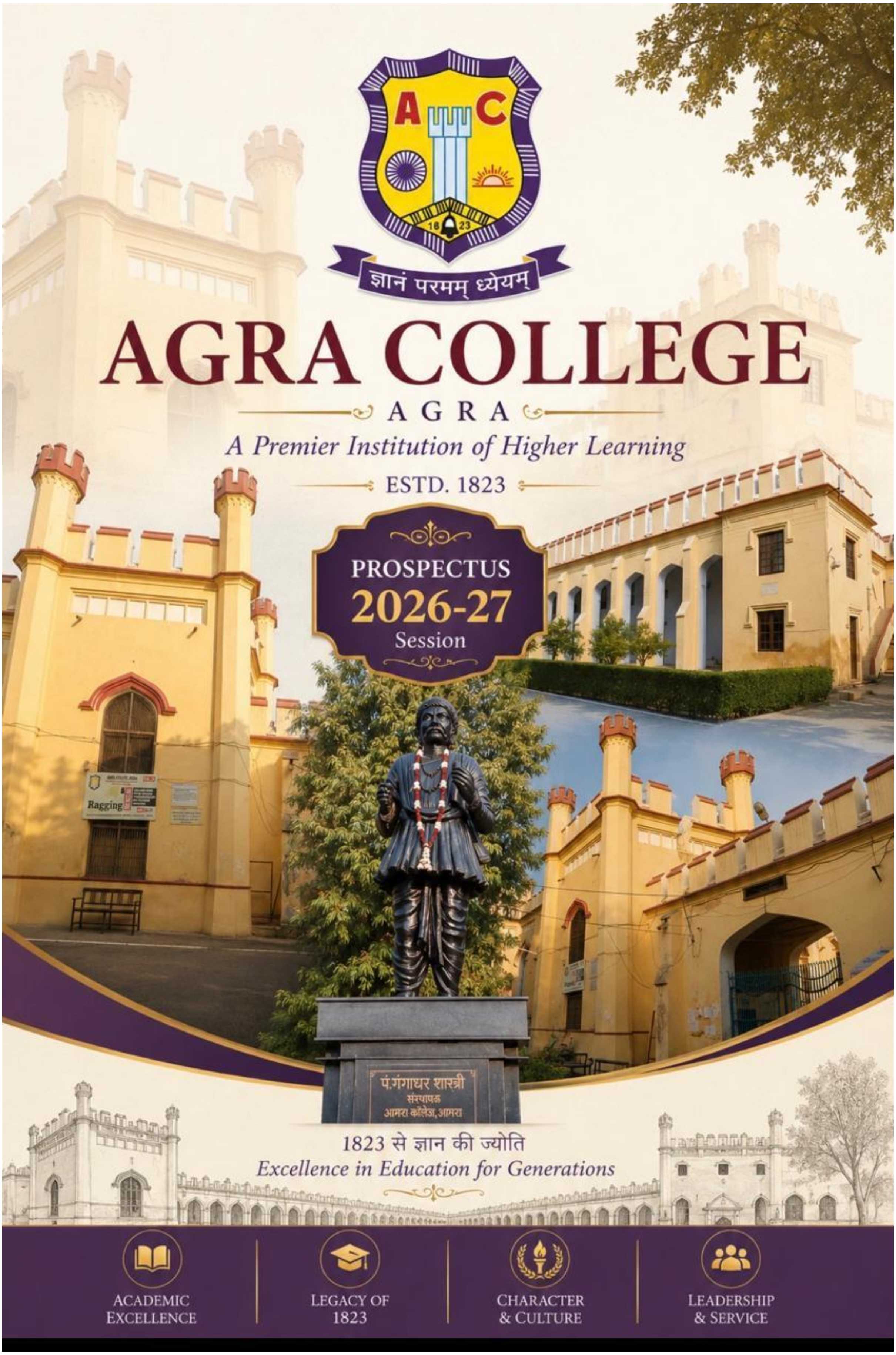
ज्ञानं परमम् ध्येयम्
AGRA COLLEGE
AGRA
A Premier Institution of Higher Learning
ESTD. 1823
PROSPECTUS
2026-27
Session
पं.गंगाधर शास्त्री
1823 से ज्ञान की ज्योति
Excellence in Education for Generations
ACADEMIC EXCELLENCE
LEGACY OF 1823
CHARACTER & CULTURE
LEADERSHIP & SERVICE

"ज्ञानं परमम् ध्येयम्"

आगरा कॉलेज, आगरा

संक्षिप्त परिचय

203 वर्ष पुराने आगरा कॉलेज को उत्तर भारत की प्राचीनतम शिक्षण संस्था होने का गौरव प्राप्त है। सन 1796 में ग्वालियर के तत्कालीन मराठा शासक महाराजा दौलतराव सिन्धिया ने अपने राज ज्योतिषी पं. गंगाधर शास्त्री को शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु आगरा, मथुरा एव अलीगढ़ जिला में जागीर दान स्वरूप भेट की थी। उनकी 1816 में मृत्यु के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने **1823 में उस सम्पत्ति** से एक विद्यालय के रूप में **इस महाविद्यालय की स्थापना** की थी।

सन् 1883 तक यह कालेज एक राजकीय महाविद्यालय था। तत्पश्चात् इसका प्रबन्धन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के हाथों में सौंप दिया गया, जिसके सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। उनके द्वारा प्रबन्ध समिति का विधि अनुसार गठन होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से कालेज का संचालन करती है। कालेज के ट्रस्ट और प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, आगरा मण्डल के आयुक्त, उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, आगरा एवं सचिव कालेज के प्राचार्य पदेन होते हैं।

आगरा कॉलेज पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और तत्पश्चात आगरा विश्वविद्यालय (सम्प्रति डॉ. बी. आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय), आगरा से सम्बद्ध रहा है। सन् 1923 में कालेज के सौ वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन वायसराय महामहिम लार्ड जनरल सर इस्साक ने की थी।

यह महाविद्यालय समय–समय पर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरा है, किन्तु उसने अपनी गरिमामयी परम्पराओं तथा ख्याति को सदैव अक्षुण्ण बनाये रखा है। इसके प्रवेश द्वार सभी धर्मों, जातियों और प्रदेशों के लोगों के लिए सदैव खुले रहे हैं। सन 1951 में कालेज के 125 वर्ष पूरे होने पर, शतोत्तर रजत जयन्ती समारोह मनाया गया था, जिसको भारतीय गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित किया था। इसी महाविद्यालय को उत्तरी भारत को पहला भारतीय स्नातक एवं उत्तर प्रदेश को पहला विधि स्नातक देने का गौरव प्राप्त है।

आगरा कॉलेज में कला संकाय, ललित कला संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय के अतिरिक्त स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत वाणिज्य संकाय, जैविक विज्ञान संकाय, पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय, शिक्षा संकाय, प्रबन्धन संकाय एवं इंजीनियरिंग संकाय में शिक्षण कार्य होता है। आगरा कॉलेज में सभी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से है केवल इंजीनियरिंग संकाय की संबद्धता डॉ. ए.के.टी.यू., लखनऊ से है।

महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों (सात छात्रावास) की भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। कालेज का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कर, उनको कर्मठ तथा विवेकशील बनाना है।

लक्ष्य एवं दृष्टिकोण

(1) युवाओं को कला, समाज विज्ञान, विज्ञान एवं विधि आदि की शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनकी प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रहित व विश्व कल्याणार्थ सार्थक हो।

(2) विद्यार्थियों में नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता, उच्च वैज्ञानिक क्षमता एवं लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास करना तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धान्त एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना।

(3) छात्रों को जाति, धर्म, लिंग एवं आर्थिक भेदभाव रहित, उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा सभी को शिक्षा एवं प्रगति के समान अवसर प्रदान करना।

शिक्षक सूची

प्राचार्य

प्रोफेसर (डॉ.) चित्र कुमार गौतम, एम.ए., पीएच.डी. (अंग्रेजी)

कला संकाय

1. हिन्दी विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) सुनीता रानी, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) ममता सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) चन्द्रशेखर शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
4. प्रोफेसर (डॉ.) वन्दना, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
5. प्रोफेसर (डॉ.) विजय कुमार सिंह, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी. (वाराणसी)
6. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) शैफाली चतुर्वेदी, एम.ए., पीएच.डी. (लखनऊ)
7. प्रोफेसर (डॉ.) भूपाल सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
8. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) संध्या यादव, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
9. प्रोफेसर (डॉ.) सुनीता द्विवेदी, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
10. प्रोफेसर (डॉ.) उमाकान्त चौबे, एम.ए., पीएच.डी. (दिल्ली)
11. श्री राम प्रकाश पाल, एम.ए., नेट

2. अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. चित्र कुमार गौतम, एम.ए., पीएच.डी., (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) आभा शर्मा, एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) प्रियम अंकित, एम.ए., पीएच.डी. (इलाहाबाद)
4. प्रोफेसर (डॉ.) दीपक उपाध्याय, एम.ए. (इलाहाबाद), पीएच.डी. (आगरा)
5. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) शादां जाफरी, एम.ए. (लखनऊ), पीएच.डी. (आगरा)
6. प्रोफेसर (डॉ.) विवेक भटनागर, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
7. प्रोफेसर (डॉ.) धनंजय कुमार सिंह, एम.ए., एम.फिल. (बिहार)
8. डॉ. निखलेश तिवारी, एम.ए., नेट, पीएच.डी.
9. डॉ. बीरी सिंह जुरैल, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
10. डॉ. अमरेश बाबू यादव, एम.ए., बी.एड., नेट, पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. सीमा यादव, पीएच.डी.

3. संस्कृत विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) कमलेश शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)

4. दर्शनशास्त्र विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) राजीव द्विवेदी, एम.ए., डी.फिल. (इलाहाबाद)

5. मनोविज्ञान विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) पूनम चॉद, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (कु.) अंशु चौहान, एम.ए. (आगरा), एम.फिल., पीएच.डी. (राजस्थान)
3. डॉ. शिव कुमार सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
4. डॉ. (श्रीमती) दिपाली सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (मेरठ)

5. इतिहास विभाग

1. श्री महावीर सिंह, एम.ए. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) निशा राठौर, एम.ए. पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) पीयूष चौहान, एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी. (आगरा) **(अवकाश पर)**
4. प्रोफेसर (डॉ.) गीता यादवेन्दु, एम.ए., पीएच. डी. (आगरा) **(अवकाश पर)**
5. डॉ. अनुराग पालीवाल, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
6. डॉ. वरूण वशिष्ट, पीएच.डी.

7. राजनीतिशास्त्र विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) मृणाल शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) सीमा सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) सन्तोष सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. डॉ. दिग्विजय नाथ राय, एम.ए. (वाराणसी), पीएच.डी. (इलाहाबाद)
5. श्री शशिकान्त पाण्डेय, एम.ए., एम.फिल., नेट
6. डॉ. स्वदेश कुमार, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
7. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, एम.ए., नेट
8. श्री विकास कुमार सिंह, एम.ए., एम.फिल., नेट

8. अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) दीपा रावत, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) सुनीता गुप्ता, एम.ए., एम.फिल., नेट, पीएच.डी.
3. डॉ. (श्रीमती) जयश्री भारद्वाज, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
4. प्रोफेसर (डॉ.) नीरजा माहेश्वरी, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा) .
5. डॉ. शैलेन्द्र कुमार, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
6. डॉ. मनीष कुमार गोस्वामी, एम.ए., पीएच.डी. **(अवकाश पर)**
7. डॉ0 अनूप सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (प्रयागराज)

9. समाजशास्त्र

1. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) मीरा सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
2. श्री महादेव सिंह, एम.ए. (सागर), नेट
3. डॉ. अरविन्द गुप्ता, एम.ए. (लखनऊ), नेट, पीएच.डी.

10. सैन्य अध्ययन विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) रामविजय सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (जौनपुर)

<u>ललितकला संकाय</u>

1. चित्रकला विभाग

1. श्रीमती मनीषा दोहरे, एम.एफ.ए. (एम.एस.यू. बड़ौदा), नेट
2. डॉ. (श्रीमती) सुनीता यादव, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. श्री दिनेश कुमार मौर्य, एम.ए.

2. संगीत विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) रीता देव, एम. म्यूजिक, डी. म्यूजिक (वाराणसी)
2. प्रोफेसर (डॉ.) आंशवना सक्सैना, एम.ए., नेट, पीएच.डी. (बुन्देलखण्ड)
3. (श्रीमती) काजल शर्मा, एम.ए., एम.फिल.
4. डॉ. नागेन्द्र मिश्र, एम.ए., पीएच.डी. (इलाहाबाद)

विज्ञान संकाय

1. भौतिक विज्ञान विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) धर्मवीर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) सुनीता गुप्ता, एम.एससी., पीएच.डी. (अलीगढ़)
3. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. भूपेन्द्र कुमार चिकारा, एम.एससी., पीएच.डी. (मेरठ)
5. श्री संजय कुमार, एम.एससी., एम.फिल. (आगरा)
6. प्रोफेसर (डॉ.) राज कुमार वर्मा, एम.एससी. (मेरठ), पीएच.डी.
7. प्रोफेसर (डॉ.) गौरांग मिश्र, एम.एससी. (लखनऊ), पीएच.डी. (आगरा)
8. प्रोफेसर (डॉ.) कौशलेन्द्र प्रसाद तिवारी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
9. प्रोफेसर (डॉ.) बृजेन्द्र कुमार शर्मा, एम. एससी., पीएच.डी. (आगरा)
10. डॉ. संध्या मान, एम.एससी. (बरेली), पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. अल्पना ओझा, एम.एससी. (कानपुर), नेट, पीएच.डी. (आगरा)
12. डॉ. आनन्द पाण्डेय, एम.एससी., एम.फिल. (आगरा)
13. प्रोफेसर (डॉ.) नीरा शर्मा, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा) .
14. प्रोफेसर (डॉ.) रंधीर सिंह इन्दोलिया, एम.एससी., नेट, पीएच.डी. (आगरा)
15. प्रोफेसर (डॉ.) विक्रम सिंह, एम.एससी., नेट, पीएच.डी. (आगरा)
16. प्रोफेसर (डॉ.) चन्द्रवीर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
17. श्री रंजीत सिंह, एम.एससी, एम.फिल, जे.आर.एफ., गेट

2. रसायन विज्ञान विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार रावत, एम.एससी., पीएच.डी., डी.एससी. (आगरा) **(अवकाश पर)**
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) संचिता सिंह, एम.एससी. (मेरठ), एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) संजय कुमार राय, एम.एससी., पीएच.डी. (वाराणसी)
4. प्रोफेसर (डॉ.) कल्पना चतुर्वेदी, एम.एससी., पीएच.डी. (गोरखपुर)
5. प्रोफेसर (डॉ.) विपिन कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (कुरूक्षेत्र) **(अवकाश पर)**
6. प्रोफेसर (डॉ.) आशीष कुमार, एम.एससी., पीएच.डी. (बरेली)
7. प्रोफेसर (डॉ.) विनीता गुप्ता, एम.एससी., एम.फिल. (इन्दौर), पीएच.डी. (आगरा)
8. प्रोफेसर (डॉ.) विनोद कुमार, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
9. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) स्मिता चतुर्वेदी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
10. प्रोफेसर (डॉ.) अमित कुमार अग्रवाल, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. सौवीर सिंह खिरवार, एम. एससी., पीएच.डी. (आगरा)
12. प्रोफेसर (डॉ.) अवधेश जौहरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
13. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
14. प्रोफेसर (डॉ.) महेन्द्र सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
15. प्रोफेसर (डॉ.) अमित चौधरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
16. डॉ. राजेश चन्द्र वर्मा, एम.एससी. पीएच.डी.
17. डॉ. सपना तोमर, एम.एससी., पीएच.डी.
18. डॉ. ह्दयेश कुमार, एम.एससी., पीएच.डी.
19. श्री चेतन गौतम, एम.एससी., नेट
20. श्री गौरव प्रकाश, एम.एससी., नेट
21. श्री जावेद अहमद, एम.एससी., नेट
22. डॉ0 निधि जौहरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)

3. वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ. प्रकाश वीर झा, एम.एससी., पीएच.डी. (वाराणसी)
2. डॉ. प्रभात कुमार यादव, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) जौली सिंह, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
4. प्रोफेसर (डॉ.) कृष्ण कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. अशोक कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (पटना)
6. डॉ. श्याम गोविन्द सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
7. डॉ. सारिका यादव, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
8. डॉ. अनुराधा नेगी, एम.एससी., पीएच.डी. (श्रीनगर गढ़वाल)
9. डॉ. आशीष तेजस्वी, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (मेरठ)
10. श्री अविनाश जैन, एम.एससी., नेट
11. डॉ. अमित यादव, एम.एससी. पीएच.डी. (आगरा)
12. डॉ. रावेन्द्र सिंह चौहान, पीएच.डी.

4. जन्तु विज्ञान विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) विजय कुमार सिंह, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (वाराणसी) **(अवकाश पर)**
2. प्रोफेसर (डॉ.) (कु.) अमिता सरकार, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (मेरठ)
3. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) सुमन कपूर, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
4. प्रोफेसर (डॉ.) विश्वकान्त गुप्त, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. उमेश शुक्ला, एम.एससी., एम.एड., पीएच.डी. (रीवा)
6. डॉ. जीनेश कुमार, एम. एससी., पीएच.डी. (आगरा)
7. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) गीता माहेश्वरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
8. प्रोफेसर (डॉ.) धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
9. डॉ. सोनल सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
10. डॉ. आनन्द प्रताप सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. केशव सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
12. डॉ. अचिंत वर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
13. डॉ. सत्यदेव शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
14. डॉ. माधुरी यादव, पीएच.डी.
15. डॉ. हरेन्द्र नाथ शर्मा, पीएच.डी.
16. श्री विष्णु शर्मा, एम.एससी., नेट

5. गणित विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) राजीव कुमार श्रीवास्तव, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) मंजू शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) राजेश जौहरी, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
4. प्रोफेसर (डॉ.) अतर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. रवीन्द्र प्रताप सिंह, एम. एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
6. श्री अवनीश कुमार तिवारी, एम.एससी., नेट

6. सांख्यिकी विभाग

1. श्री दिग्विजय पाल सिंह, एम. स्टेट., एम.फिल. (दिल्ली)
2. डॉ. रोहित पटवा, एम.एससी., पीएच.डी.
3. कु0 ललिता, एम.एससी., नेट

विधि संकाय

1. प्रोफेसर (डॉ.) दुर्गा चरण मिश्रा, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा)
2. प्रोफेसर (डॉ.) मोहम्मद मुअज्जम खाँ, एलएल.एम. (अलीगढ़), पीएच.डी. (आगरा)
3. प्रोफेसर (डॉ.) शिति कण्ठ दूबे, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा)
4. प्रोफेसर (डॉ.) उमेश कुमार, एलएल.एम., पीएच.डी. (आगरा)
5. प्रोफेसर (डॉ.) शोभनाथ जैसल, एलएल.एम. (वाराणसी)
6. प्रोफेसर (डॉ.) राकेश कुमार, एलएल.एम., पीएच.डी. (वाराणसी)
7. डॉ. सरोज कुमार, एलएल.एम., पीएच.डी. (वाराणसी)
8. श्री सुधेन्द्र नाथ, एलएल.एम. (वाराणसी)
9. प्रोफेसर (डॉ.) ओम प्रकाश राय, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा) **(अवकाश पर)**
10. प्रोफेसर (डॉ.) अमरनाथ, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा)
11. प्रोफेसर (डॉ.) मनीष शंकर तिवारी, एलएल.एम. (गोरखपुर), पीएच.डी. (आगरा)
12. प्रोफेसर (डॉ.) (श्रीमती) रीता निगम, एलएल.एम., पीएच.डी. (आगरा)
13. श्री ऋजु निगम, एलएल.एम. (आगरा)
14. प्रोफेसर (डॉ.) संजीव कुमार शर्मा, एलएल.एम. (आगरा)
15. डॉ. गौरव कौशिक, एलएल.एम. (अलीगढ़), पीएच.डी. (आगरा)
16. श्री फिरोज अंसारी, एलएल.एम. (जौनपुर)
17. श्री शिवबीर सिंह यादव, एलएल.एम. (रोहतक)
18. डॉ. निधि शर्मा, एलएल.एम. (बरेली)
19. श्री कृष्णवीर यादव, एलएल.एम. (आगरा)
20. कु. अर्चना यादव, एलएल.एम. (मेरठ)
21. डॉ. अजहर अली खॉन, एलएल.एम., पीएच.डी. (आगरा)

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. प्रोफेसर (डॉ.) अमित रावत, एम.पी.ई., पीएच.डी. (ग्वालियर)
2. श्री रविशंकर सिंह, एम.पी.एड.
3. श्री हेमराज, एम.पी.एड.
4. श्री नितेश कुमार शर्मा, एम.पी.एड.
5. श्री धर्मवीर सिंह यादव, एम.पी.एड.
6. प्रोफेसर (डॉ.) लोकेन्द्र पाल सिंह चौहान, एम.पी.एड., पीएच.डी. (ग्वालियर)
7. डॉ. मनीश शुक्ला, एम.पी.एड., पीएच.डी. (ग्वालियर)

पुस्तकालय विभाग (केन्द्रीय पुस्तकालय)

1. प्रोफेसर (डॉ.) पूर्वेन्द्र कुमार दीक्षित, एम.लिव., पीएच.डी. (ग्वालियर)

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत

वाणिज्य संकाय

1. डॉ. अश्विनी शर्मा, एम.कॉम., पीएच.डी.
2. डॉ. आदेश कुमार तिवारी, एम.कॉम., पीएच.डी.
3. डॉ. मनोज कुमार गुप्ता, एम.कॉम., पीएच.डी.
4. डॉ. सतीश चन्द, एम.कॉम., पीएच.डी.
5. डॉ. नीरज मनचंदा, एम.कॉम., पीएच.डी.
6. डॉ. रूपेश दीक्षित, एम.कॉम., पीएच.डी.
7. डॉ. पुनीत मिश्रा, एम.कॉम., पीएच.डी..
8. डॉ0 अनिल कुमार, एम.कॉम., पीएच.डी.

जैव प्रोद्योगिकी संकाय (बायोटेक)

1. डॉ. संध्या अग्रवाल, एम.एससी., पीएच.डी.
2. डॉ. दिव्या अग्रवाल, एम.एससी., नेट, पीएच.डी.
3. डॉ. प्रशान्त पचौरी, एम.एससी., पीएच.डी.
4. डॉ. यशस्विता चौहान, एम.एससी., नेट, पीएच.डी.
5. डॉ. नीता रानी, एम.एससी., पीएच.डी.

पत्रकारिता एवं जन संचार संकाय

1. डॉ. महेन्द्र सिंह, एम.जे.एमसी., एम.फिल., पीएच.डी.

विधि संकाय–बी.ए.एलएल.बी.

1. डॉ. गीता उपाध्याय, एम.ए. (समाजशास्त्र), पीएच.डी.
2. श्री प्रमोद कुमार सिंह, एम.ए. (इतिहास)
3. डॉ. रणवीर सिंह, एल.एल.एम., पीएच.डी.
4. डॉ. सुखवीर सिंह
5. डॉ. सुनील कुमार शर्मा
6. श्री कुँमर गौरव प्रताप सिंह
7. डॉ. कुमकुम अग्रवाल
8. डॉ. शिवानी सेठ, एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी. (राजनीतिशास्त्र)
9. कु. वसुधा अग्रवाल, एलएलएम, नेट
10. श्री आदर्श प्रताप राव
11. श्री अमरेन्द्र सिंह
12. डॉ. मनिका टण्डन
13. श्री विजय सिंह राना
14. डॉ. निशा अग्रवाल
15. डॉ0 संतोष कुमार सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (अंग्रेजी)

शिक्षा संकाय

1. डॉ. (श्रीमती) रमा सिसौदिया, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
2. डॉ. (श्रीमती) प्रीती माहेश्वरी, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
3. डॉ. ममता सिंह, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
4. श्रीमती दीक्षा शर्मा, एम.कॉम, एम.एड. एम.फिल.
5. श्रीमती नीलम मिश्रा, एम.ए., एम.एड.
6. श्रीमती सुषमा गोयल, एम.ए., एम.एड.
7. डॉ. प्रिया कुलश्रेष्ठ, एम.एससी., एम.एड., पीएच.डी.
8. श्रीमती श्वेता पचौरी, एम.एच.एससी., एम.एड.
9. डॉ. विन्देश्वरी प्रसाद सिंह, एम.एससी., एम.एड.
10. श्री बृजेश सिंह, एम.ए., एम.एड.
11. डॉ. रंजना, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
12. श्री आनन्द शर्मा, एम.पीएड. (शारीरिक शिक्षा)
13. श्री राज प्रकाश सक्सैना, एम.ए. (चित्रकला)
14. डॉ. (श्रीमती) कल्पना शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (संगीत)

बी0बी0ए0 संकाय

1. डॉ. पारूल महाजन, एम0बी0ए0, पी0एच0डी0
2. डॉ. श्रृद्धा सिंह, नैट, पी0एच0डी0
3. श्री अमन गोस्वामी, नैट, एम0बी0ए0

बी0सी0ए0 संकाय

1. डॉ. विकास तिवारी, एम0सी0ए0, पी0एच0डी0
2. ई. आशीष सिंघल, एम0सी0ए0, एम0टैक0
3. श्रीमती शिखा, एम0सी0ए0

मुख्य कार्यालय

1.	रिक्त	लेखाधिकारी
2.	श्री बृजेश हरित	कार्यालय अधीक्षक (कार्यवाहक)
3.	रिक्त	वैयक्तिक सहायक प्राचार्य
4.	श्री एस. के. सोनकर, एम.कॉम	सहायक लेखाकार / बर्सर (कार्यवाहक)
5.	रिक्त	वरिष्ठ सहायक
6.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, बी.ए., एलएल.बी.	वरिष्ठ सहायक
7.	श्री अनिल नारायण खण्डेलवाल, एम.कॉम.	वरिष्ठ सहायक
8.	कु. ऋतु शर्मा, बी.ए.	सहायक
9.	श्री विनोद कुमार सेमवाल, बी.ए.	सहायक
10.	श्री राजीव सिंह, बी.ए.	सहायक
11.	श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, एम.ए.	सहायक
12.	श्री मोहन सिंह वर्मा, बी.ए.	सहायक
13.	श्री अंकित दीक्षित, एम. कॉम	सहायक
14.	श्री गौरव शर्मा, बी.ए.	सहायक
15.	कु. नीलम, एम. ए.	सहायक

16. श्री हरेश चौधरी, बी.ए., एलएल.बी.	सहायक
17. श्रीमती श्रुति त्रिपाठी, एम.ए.	सहायक
18. श्रीमती राजकुमारी, बी.ए.	सहायक
19. डॉ. मनीष देव, एम.ए. पीएच. डी. (आगरा)	सहायक
20. श्री विक्रम आनन्द, बी.ए.	सहायक
21. श्री सुशील कुमार, बी.ए.	सहायक
22. श्री गौरी शंकर, एम.ए. (अर्थशास्त्र)	सहायक
23. श्री आकाश कुमार सौनी	सहायक
24. श्रीमती प्रेरणा दीक्षित	सहायक
25. श्री अभ्युदित चौधरी	सहायक

पुस्तकालय कार्यालय

1. डॉ. पी.के. दीक्षित, पीएच.डी.	पुस्तकालयाध्यक्ष
2. रिक्त	केटलागर
3. डॉ. (श्रीमती) मीनू, बी.ए., बी.लिब.एससी., बी.एड., पीएच.डी.	वरिष्ठ सहायक
4. श्रीमती आशा शर्मा, एम.ए.	सहायक
5. श्रीमती रागिनी कुमारी, इण्टरमीडिएट	सहायक
6. श्रीमती एकता गुप्ता, एम.कॉम., एम.ए.	सहायक
7. श्री सुनील कुमार, बी.एससी.	सहायक
8. श्री शनि सिंह, बी.ए.	सहायक
9. श्री प्रदीप परमार, बी.टैक.	सहायक

छात्रावास कार्यालय

1. श्री राजीव कुमार शर्मा	सहायक

प्रयोगशाला सहायक

भौतिक विज्ञान विभाग

1. रिक्त	लैब टैक्नीशियन
2. श्री सुबोध श्रीवास्तव, एम.ए., बी.एड.	प्रयोगशाला सहायक

रसायन विज्ञान विभाग

1. श्री राजेश कुमार, एम.ए.	प्रयोगशाला सहायक
2. श्री अशोक कुमार, एम.ए.	प्रयोगशाला सहायक
3. श्री विक्रम सिंह, इण्टरमीडिएट	प्रयोगशाला सहायक
4. श्री सुरेन्द्र कुमार, बी.कॉम.	प्रयोगशाला सहायक

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. श्री नितिन कुमार, इण्टरमीडिएट	प्रयोगशाला सहायक

जन्तु विज्ञान विभाग

1. श्री सत्य प्रकाश, बी.ए.	प्रयोगशाला सहायक
2. श्रीमती शाल्वी सक्सेना, बी.एससी., एम.ए.	प्रयोगशाला सहायक
3. श्रीमती शिप्रा बिसारिया, बी.एससी., एम.ए.	प्रयोगशाला सहायक

गणित विभाग

1.	रिक्त	सहायक

मनोविज्ञान विभाग

1.	श्री सोनू, इण्टरमीडिएट	प्रयोगशाला सहायक
2.	रिक्त	सहायक

संगीत विभाग

1.	श्री मुरली मनोहर तिवारी, एम.ए. प्रभाकर	तबला वादक
2.	श्री राधेलाल, एम.ए. प्रभाकर	तबला वादक

सैन्य अध्ययन विभाग

1.	रिक्त	सहायक

डिस्पेंसरी

1.	श्री अशोक कुमार, बी.फार्मा.	फार्मेसिस्ट

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 25.04.2026 द्वारा अनुमोदित
प्रवेश नियमावली सत्र 2026–27

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. (i) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी (एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होगें, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

2. (अ)

(i) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Samarth Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year Under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होगें। (जिसका अध्यादेश संलग्न है।) तथा बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागु की जा सकती है।

(ii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवशे तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते है।

(iii) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है।

(iv) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

(v) सत्र 2026–27 से बी0ए0एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एल0 तथा बी0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश सेमेस्टर प्रणाली में होगा।

(ब) समर्थ पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया को विद्यार्थियों को सही ढंग से समझाने एवं विद्यार्थियों की सहायता हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक समर्थ सैल की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसमें एक नोडल अधिकारी नामित होगा। जो कि तकनीकि रूप से दक्ष हो, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय समर्थ नोडल अधिकारी व कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) महाविद्यालयों में परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो एवं विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण महाविद्यालय स्तर पर ही हो, इस आशय से प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश एवं परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाये एवं इसकी सूचना कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(द) प्रवेश प्रक्रिया में समर्थ रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक विद्यार्थी का S.R.N. नम्बर तथा APPAR आई0डी0 होना आवश्यक है।

3. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

4. (i) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक Programme का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। Samarth Registration Number शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु0 400/– तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे– एल0एल0बी0, बी0पी0एड0, बी0एड0, एम0एड0, एल0एल0एम0, आदि) के लिए रु0 500/– होगा।

(ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वं–प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(iii) सत्र 2026–27 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Samarth Admission Portal (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः

(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) समर्थ आई0डी0 से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण/निजी जानकारी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अनिवार्य है। संस्थान/महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Samarth Admission Portal की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

5. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भॉति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिर्पोटिंग OTP द्वारा Admit प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय Samarth की Admin Login Id पर जाकर अभ्यर्थी की सीट Confirm भी करेगें।

6. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया के Steps अलग से प्रदान किया जायेगा। (संलग्नक–2)

सामान्य निर्देश

1. **(अ)** (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रू0 400/– होगा।

   (ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10/– के स्थान पर रू0 25/– लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2026–27 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अन्तर्गत ही) तथा ई0डब्लू०एस० हेतु स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही

मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा, जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन हैल्प सेन्टर होगा। जहॉ से बच्चे को प्रोग्राम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में छात्र के पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् करना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी एक माह के अन्तराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रद्द करता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।

2. (अ) सत्र 2026–27 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा रु0 300/– नामांकन शुल्क व रू0 300/– उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय रू0 100/– सांस्कृतिक शुल्क, रू0 100/– कीड़ा शुल्क व रू0 100/– Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय हागेा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयागे हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेगें। नामाकंन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेगें।

(ब) एलएलएम पाठ्यकम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

<u>नोटः– सांस्कृतिक शुल्क, कीड़ा शुल्क तथा Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।</u>

(स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अर्न्तगत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यकम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यकम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए रू0 300/–का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सटिर्फिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यकम को करने के

बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होगें।

(द) (i) बीएएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(र) एम0ए0 के समस्त प्रयोगात्मक एवं अप्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी स्ट्रीम से स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक–पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0एससी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा। PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA उपरोक्त विशयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंको की छूट मान्य होगी।

(श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूंर्णाक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायो की प्रथम वर्ष के लिए SRN (Samarth Registration Number) आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगीः–

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2026
- स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 30 जून, 2026
- नव पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की (Review and Admit) अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2026
- स्नातक डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 अगस्त, 2026
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2026
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- उक्त कार्यक्रम/तिथियों मे संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0–2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) नई शिक्षा नीति–2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।

(द) नई शिक्षा नीति–2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।

(य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/ बीएससी (कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते है।

(र) एन0ई0पी0–2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0–2020 के अनुसार अनुमान्य होंगे।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

(i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम

अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पाचंवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्त्तव्य और अधिकार होगें:–"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Pinciples, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यनूतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:–

(1) बीएससी (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बीएससी (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बीएससी (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीएिड़ट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वद्यिालय अनुदान आयागे के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :–

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नही आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगें: –

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।

(iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोटः– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(iv) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(v) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

<u>शैक्षिक अंकों की गणना :–</u>

7. (क) स्नातक कक्षायें: –

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :–

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंको की गणना निम्नवत् होगी:–

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें: –

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 50 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनो।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें: –

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें: –

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः–

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंको, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुलयोग **17 अंको से अधिक नही होगा।**

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक।

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक ।

भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक।

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक ।

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 8 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 7 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 6 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिएः–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

3. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को – 8 अंक।

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को – 6 अंक।

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। – 3 अंक।

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए –5 अंक।

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। –3 अंक।

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

नोटः– उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन0सी0सी0 अधिकारी / एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र / रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

<u>(ख) सभी कक्षायेः</u>

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।– –17 अंक।

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी पुत्र–पुत्री (अविवाहित)। –10 अंक।

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में –17 अंक।

<u>**टिप्पणीः**</u>

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु <u>वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।</u> अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जायें, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी <u>**स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष**</u> द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होंगे।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवदेन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सर्म्पक करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अपटू–डटे'' जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भॉति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

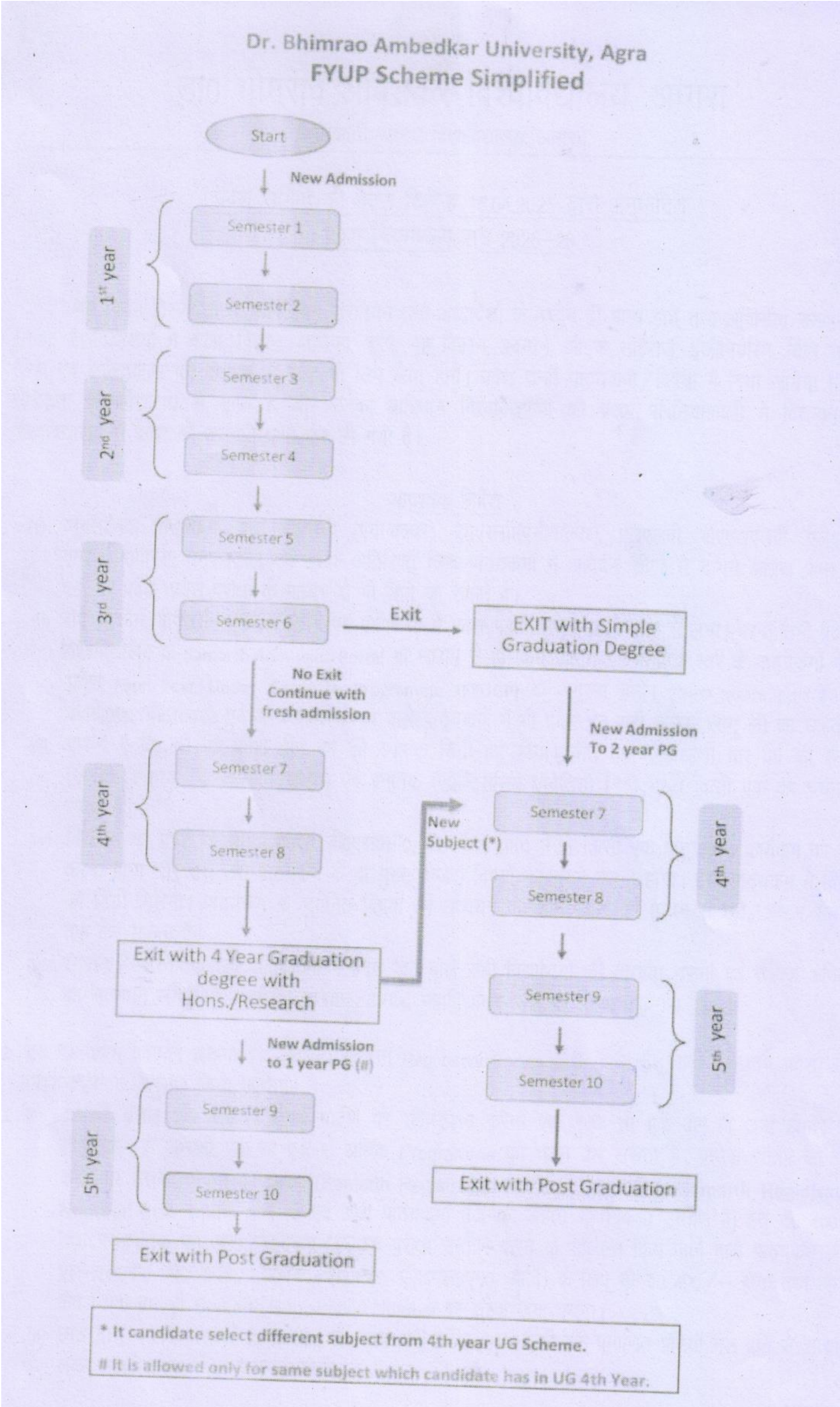
Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra
FYUP Scheme Simplified
Start
New Admission
1st year
Semester 1
Semester 2
2nd year
Semester 3
Semester 4
3rd year
Semester 5
Semester 6
Exit
EXIT with Simple Graduation Degree
No Exit Continue with fresh admission
New Admission To 2 year PG
4th year
Semester 7
Semester 8
New Subject (*)
Semester 7
Semester 8
4th year
Exit with 4 Year Graduation degree with Hons./Research
Semester 9
Semester 10
5th year
New Admission to 1 year PG (#)
5th year
Semester 9
Semester 10
Exit with Post Graduation
Exit with Post Graduation
* It candidate select different subject from 4th year UG Scheme.
# It is allowed only for same subject which candidate has in UG 4th Year.

डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

शैक्षिक कैलैण्डर 2026–27

क्रम सं0	शैक्षणिक सत्र 2026–27 का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)		
1	सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	31–07–2026
2	प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	01–08–2026 से 04–08–2026 (before and after classes)
3	सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ	01–08–2026
4	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	10–11–2026
5	सेमेस्टर की प्रायोगात्मक परीक्षाएं पूर्ण होने की तिथि*	20–11–2026
6	सेमेस्टर की परीक्षायें (30 दिन) Exam Window-1	21–11–2026 से 20–12–2026
7	शीतावकाश (15 दिन)	21–12–2026 से 04–01–2027
8	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	06–01–2027
तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (Odd Semester)		
9	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	21–07–2026
10	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	31–10–2026
11	सेमेस्टर की प्रायोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	20–11–2026
12	सेमेस्टर की परीक्षायें (30 दिन) Exam Window-1	21–11–2026 से 20–12–2026
13	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	10–01–2027

द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम् एवं अष्टम् सेमेस्टर (Even Semester)		
14	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	05–01–2027
15	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	10–04–2027
16	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	19–04–2027
17	सेमेस्टर की परीक्षायें (30 दिन) Exam Window-2	20–04–2027 से 20–05–2027
18	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	15–06–2027
19	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01–06–2027 से 30–06–2027

* नोटः– सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ–साथ प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षकों का पैनल प्राप्त होते ही यथा समयानुसार महाविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराकर पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेगें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. प्रभारी, कुलपति कार्यालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. अधीक्षक कुलसचिव, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
4. अभिलेख खण्ड।

कुलसचिव

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत

सत्र 2025-26 से अंगीकृत

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए

अध्यादेश

(Ordinance)

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना
(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4), दिनांक 02 सितंबर, 2024 के अनुपालन में **सत्र 2025-26** से वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP (Four Year Undergraduate Programme) के **20 क्रेडिट/सेमेस्टर** के प्रावधान को अंगीकृत कर लिया गया है | यह FYUP के सन्दर्भ में प्रथम अध्यादेश है और पूर्व में यदि कोई अध्यादेश UG, FYUP and PG के सन्दर्भ में निर्गत किया गया हो, तो यह अध्यादेश उसका स्थान ले लेगा (It will supersede all the previous relevant ordinances, rules and regulations for UG, FYUP and PG if exists) |

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०एससी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एससी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनॉमिक्स) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, **पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।**

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिङ), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं चार वर्षीय स्नातक (मानद शोध सहित), एक वर्षीय परास्नातक, दो वर्षीय परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी **तालिका-1** में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०एससी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एससी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनॉमिक्स) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि के लिए व्यवस्था **तालिका-2** में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें **सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों** पर ही लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा-चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा-एम०सी०आई०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, बी०सी०आई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं (Definitions)-

3.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)-एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), चार वर्ष की स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं चार वर्ष की स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री, एकल विषय स्नातक, एकल विषय स्नातक (मानद)

तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०एससी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एससी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनॉमिक्स) इत्यादि |

3.2. संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा-कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011. दिनाँक 15.06.2021 के अनुसार होगी ।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान एवं भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि में तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में किया गया है **(तालिका-3,4,5)**

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये (मात्र विषय चयन हेतु) अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या-1276/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनाँक 16-06-2021)

3.3. विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

(Selection of Major Subject and Minor Elective Paper)

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2(अ) जिन संस्थानों में जिस विषय में परास्नातक की सम्बद्धता है, उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार उच्चीकृत कर दिया जायेगा।

(ब)जिन संस्थानों में जिस विषय में परास्नातक की सम्बद्धता नहीं है, विश्वविद्यालय ऐसे इच्छुक संस्थानों को आवेदित विषय में चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता आवेदन करने पर नियमानुसार प्रदान कर सकता हैं।

(स)विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को पृथक चार वर्षीय स्नातक (FYUP) यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम आदि की सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकता हैं।

4.3(अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (Major) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी

को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे / अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी। ऐसे विद्यार्थियों को परास्नातक के लिए 02 वर्षों में से प्रथम वर्ष में संबंधित विषय के स्नातक (मानद) के चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रम और द्वितीय वर्ष में एक वर्षीय परास्नातक यथा पंचम वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा |

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (Minor) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 तीसरे गौण (Minor) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित करेगा हैं कि कौन सा कोर्स गौण (Minor) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.6 विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकता हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.7 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.8 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकता हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सेज की परीक्षा अपने स्तर से करवाएगा |

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जायेंगे ।

5.3 यदि विद्यार्थी यू०जी०सी०/PMKVY 4.0/ केन्द्र / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ /अलग-अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा |

6.4 विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाया जायेगा । भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा अथवा "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे |,

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।

7.2 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा। जिसका मुल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

7.3 (अ)स्नातक चतुर्थ वर्ष (मानद शोध सहित) के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

(ब)स्नातक चतुर्थ वर्ष (मानद) के विद्यार्थी को शोध परियोजना नहीं करनी होगी । इन छात्रों को स्नातक चतुर्थ वर्ष के पश्चात स्नातक (मानद) की उपाधि दी जाएगी।

7.4 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।

7.5 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी०एच०डी० की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.6 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.7 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी / मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग / इन्टर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की एक रिपोर्ट / शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा ।

7.9 सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC के नियमानुसार शोध प्रकाशन) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार / संगोष्ठी में पेपर प्रजेंन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों (अधिकतम चार विद्यार्थी) द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.10 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट / शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण (Credit and Credit Allocation)

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा निर्देश पृथक से समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाते है

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की **40 क्रेडिट की इंटर्नशिप** NATS या समकक्ष / समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत करेगा | स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) डिग्री अर्जित करने वाला विद्यार्थी यदि परास्नात्क करना चाहता है तो उसे दो वर्षीय परास्नात्क पाठ्यक्रम करना होगा |

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय सक्षम विधिक निकायों / समितियों के माध्यम से नियमों को करेगा ।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी। जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण (Attendence and Credit Assesment)

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को क्रमशः **संग्लनक-1** एवं **2** के अनुसार संचालित किया जायेगा ।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल **आंतरिक परीक्षा नहीं है**, अपितु विद्यार्थी का सर्वागीण मूल्यॉकन करना है। एन०ई०पी०-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 (अ)मुख्य व माईनर विषयों के **केवल थ्योरी पेपर्स में** 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी।

(ब) प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यॉकन पूर्व की भाँति शासनादेश संख्या-1969/ सत्तर-3-2021, दिनॉक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी। यह एक सतत् प्रक्रिया है |

12.4 शासनादेश संख्या-2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliament), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है । सतत् आंतरिक मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय समय-समय दिशा निर्देश निर्गत करेगा |

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra- Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

13. व्याख्या खंड (Interpretation Clause)

इस अध्यादेश के कार्यान्वयन के दौरान व्याख्या से संबंधित कोई भी मुद्दा उत्पन्न होने पर या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

तालिका-1

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC (To be in effect from 2025-26 session)

Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree	Year	Sem.	Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or Survey work	Minimum Credits for the Year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other /Own Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main subjects	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship/Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/Internship through NATs or from equivalent organization/Industry/Institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% or more marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
(200) Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
(216) PGDR in subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in subject	6,7,8	XII-XVI						Ph.D. Thesis	

***Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme.**

उदाहरण (Illustration):

यदि विद्यार्थी **स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस०सी०** पाठ्यक्रम का चयन करता है तो-

- ✓ विद्यार्थी **तालिका-4** में से किन्ही दो मुख्य (Major Core) विषयों यथा Subject-I और Subject-II का चयन पूर्व-अपेक्षित अहर्ता (Pre-requisite) के आधार पर कर सकता है | जिनका अध्ययन उसे अगले 6 सेमस्टर तक करना होगा |

- ✓ प्रथम दो वर्षों में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (प्रथम से चतुर्थ तक) चयनित विषयों के 6 क्रेडिट के एक-एक पेपर का अध्ययन करेगा |
  या तो पेपर 6 क्रेडिट्स का Theory Paper होगा
  अथवा
  4 क्रेडिट्स का Theory Paper + 2 क्रेडिट्स का Practical Paper होगा
  अथवा
  2 क्रेडिट्स का Theory Paper + 4 क्रेडिट्स का Practical Paper होगा |
  इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

- ✓ तृतीय वर्ष में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में) चयनित दो विषयों के कुल 10 क्रेडिट के पेपरों का अध्ययन करेगा |
  या तो पेपर 5-5 क्रेडिट्स के 02 Theory Papers होंगे
  अथवा
  4 क्रेडिट्स के 02 Theory Papers + 2 क्रेडिट्स का Practical Paper होगा
  अथवा
  2 क्रेडिट्स का Theory Paper + 4 क्रेडिट्स के 02 Practical Papers होंगे |
  इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

- ✓ प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) और द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में 6 क्रेडिट का एक-एक **गौण (Minor) विषय** का चयनं करना होगा | विद्यार्थी द्वारा चयनित **तीसरे गौण (Minor) विषय** का आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुविषयकता के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

- ✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षों में प्रथम सेमस्टर से तृतीय सेमस्टर तक एक-एक **कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)** का चयन करेगा |

- ✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षों में प्रथम सेमस्टर में चतुर्थ सेमस्टर तक एक-एक **सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)** का अध्ययन करेगा |

- ✓ स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित **तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना** करेगा।

तालिका-3

कला संकाय (Arts Faculty) के विषयों का वर्गीकरण					
Faculty of Indian Language	**Faculty of Foregin Langauge**	**Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences**	**Faculty of Fine Art Performing Art**	**Faculty of Rural Science**	**Faculty of Vocational Arts**
Hindi	French	Economics	Drawing and Painting	Community Development and Extension	Travel and Tourism Management
English	German	History	Music Instrument Tabla	Agriculture Marketing	
Urdu	Russian	Political Science	Music Instrument Sitar	Co-operation	
Sanskrit		Geography	Music (Vocal)	Rural Banking	
		Psychology		Fishries	
		Philosophy		Horticulture (Rural Science)	
		DSST/Military Studies		Village Industries	
		Education		RSCD	
		Physical Education		RECO	
		Sociology			
		Home Science			
		AIHC			
		Library & Information Science			

तालिका-4

विज्ञान संकाय (Science Faculty) के विषयों का वर्गीकरण			
Faculty of Physical Sciences	**Faculty of Life Sciences**	**Faculty of Mathematical Sciences**	**Faculty of Vocational Sciences**
Physics	Zoology	Mathematics	Instrumentation
Chemistry	Botany	Statistics	Computer Application
Industrial Chemistry	Microbiology	Computer Science	Optical Instrumentation
	Biotechnology		Electronics
	Seed Technology		
	Industrial Microbiology		
	Environment Science		
	Bio-chemistry		

तालिका-5

वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty) के विषयों का वर्गीकरण	
Faculty of Commerce	**Faculty of Vocational Commerce**
Accounts and law	Foreign Trade
Business Administration	Sales Promotion and Advertising
Applied Business Economics	Principles of Insurance

त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक/ स्नातक(आनर्स) पाठ्यक्रमों की संरचना

A1. यह सभी व्यवस्थायें **सत्र 2025-26 से एकल विषय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों** पर ही लागू होंगी।

A2. **पाठ्यक्रम (Course)-** यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०ए० (अर्थशास्त्र) इत्यादि तथा एकल विषयक / संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

A3. **विषय (Subject)-** यथा अर्थशास्त्र, संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास, आदि।

A4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर
(Selection of Major Subject and Minor Elective Paper)

A4.1. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। तृतीय वर्ष में विद्यार्थी स्नातक (साधारण) एवं स्नातक (मानद) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

A4.2. विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को एकल विषय स्नातक (मानद) की मान्यता/सम्बद्धता नये/पृथक कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकता हैं।

A4.3. विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि अथवा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०ए० (अर्थशास्त्र) इत्यादि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा।

A4.4. विद्यार्थी द्वारा एक गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

A4.5. तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

A4.6. विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

A4.7. विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा अपने स्तर से करवाएगा |

A4.8. यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

A4.9. एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

A5. **कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)**

(अध्यादेश बिंदु संख्या 05 के अनुसार)

A6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

(अध्यादेश बिंदु संख्या 06 के अनुसार)

A7. शोध परियोजना (Research Project)

A7.1 एकल विषय स्नातक स्तर पर छात्र तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में 4/5 क्रेडिट की एक-एक शोध परियोजना करेगा।

A7.2 स्नातक स्तर पर की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा। जिसका मुल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

A7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

A7.4 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी / मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग / इन्टर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

A7.5 एकल विषय स्नातक एवं स्नातक (मानद) के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

A8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण (Credit and Credit Allocation)

A8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

A8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

A8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा निर्देश पृथक से समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाते है

A8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120/130 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक/ स्नातक(मानद) डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

A8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120/130 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक/स्नातक(मानद) डिग्री प्राप्त कर सकता है।

A8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय सक्षम विधिक निकायों / समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करेगा ।

A8.7 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट / डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

A8.8 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

A9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

(अध्यादेश बिंदु संख्या 11 के अनुसार)

A10. ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को **संग्लनक-1** के अनुसार संचालित किया जायेगा ।

A11. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

(अध्यादेश बिंदु संख्या 12 के अनुसार)

A12. व्याख्या खंड (Interpretation Clause)

इस अध्यादेश के कार्यान्वयन के दौरान व्याख्या से संबंधित कोई भी मुद्दा उत्पन्न होने पर या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

तालिका-2

3 year Honours/Single subject programme structure aligned with FYUGP of UGC

Table-2(To be in effect from 2025-26 session)

Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or Survey work	Minimum Credits for the Year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main subjects	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
OR									
(80+50=120) 3-year Single Subject Honours UG Degree	3	V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

*Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc(Chemistry), .

*After both the above programmes (3 year plain or Honours degree), one has to pursue 4^{th} / 5^{th} years of UG/PG programmes as given in Table-1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

उदाहरण (Illustration):

एकल विषय स्नातक वाले विद्यार्थी प्रथम दो वर्षों में प्रत्येक सेमस्टर में (प्रथम से चतुर्थ तक) या तो 4-4 क्रेडिट के 03 थ्योरी पेपर (Theory Paper) का अध्ययन करेगा

अथवा

4-4 क्रेडिट के 02 थ्योरी पेपर (Theory Paper) + 4 क्रेडिट का एक प्रयोगात्मक पेपर (Practical Paper) का अध्ययन करेगा।

इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा।

✓ तृतीय वर्ष में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में) या तो 4-4 क्रेडिट के 04 थ्योरी पेपर (Theory Paper) का अध्ययन करेगा

अथवा

4-4 क्रेडिट के 03 थ्योरी पेपर + 4 क्रेडिट का एक प्रयोगात्मक पेपर (Practical Paper) का अध्ययन करेगा।

साथ ही विद्यार्थी पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में 4-4 क्रेडिट की एक-एक शोध परियाजना करेगा यथा तृतीय वर्ष कुल 40 क्रेडिट्स का होगा।

इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा।

ऐसे विद्यार्थी को त्रिवर्षीय एकल विषय में स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी।

अथवा

✓ तृतीय वर्ष में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में) या तो 5-5 क्रेडिट के 04 थ्योरी पेपर (Theory Paper) का अध्ययन करेगा

अथवा

4-4 क्रेडिट के 04 थ्योरी पेपर (Theory Paper) + 4 क्रेडिट का एक Practical Paper का अध्ययन करेगा।

साथ ही विद्यार्थी पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में 5-5 क्रेडिट की एक-एक शोध परियाजना करेगा यथा तृतीय वर्ष कुल 50 क्रेडिट्स का होगा।

इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा।

ऐसे विद्यार्थी को **त्रिवर्षीय एकल विषय में स्नातक (मानद) डिग्री** प्रदान की जाएगी।

✓ इसके अतिरिक्त एकल विषय स्नातक वाले विद्यार्थी प्रथम दो वर्षों में एक-एक तीसरे गौण (Minor) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर करेगा। तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षों में प्रथम सेमस्टर में तृतीय सेमस्टर तक एक-एक **कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)** का चयन करेगा।

✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षों में प्रथम सेमस्टर में चतुर्थ सेमस्टर तक एक-एक **सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)** का अध्ययन करेगा ।

✓ विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष के चतिर्थ सेमस्टर में चतुर्थ सेमस्टर तक एक शोध परिजयोजना करनी होगी ।

संग्लनक-1

FYUP के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षो (बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०कॉम०) एवं त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक हेतु ग्रेडिंग प्रणाली

सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा FYUP को अंगीकृत कर लिया गया है | इसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यकमों में प्रथम तीन वर्षो एवं त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent		0

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत होगा।

2.2 चार सह-पाठ्यकम कोर्स (co-curricular courses) तथा द्वितीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इनका उत्तीर्णांक भी 33 प्रतिशत ही होगें।

2.3 तीन कौशल विकास कोर्स (Skill development/Vocational course) भी Credit Course है तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें। शासनादेश संख्याः 2058/सत्तर-3-2021-08 (33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण / ट्रेनिंग / प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण / ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

2.4 सभी विषयों के मुख्य/माइनर पेपर (केवल थ्योरी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (केवल थ्योरी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर (प्रेक्टिकल)/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर के अधिकतम 100 अंको की बाह्य परीक्षा विश्वविद्यलाय द्वारा करवाई जायेगी। **इनमे कोई सतत् आन्तरिक मूल्यांकन नही करवाया जायेगा |** अतः मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (प्रेक्टिकल)/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.6 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.7 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सेमेस्टर में जिस पेपर में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा, उसे उस पेपर को बैंक पेपर (Re-Exam) के रूप में देना होगा |

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टरर्स में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी सुधार (Improvement) की परीक्षा केवल किन्हीं भी दो पेपर में दे सकता है।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या:- (Explanation) यदि विद्याथी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6 CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः

j^{th} सेमेस्टर के लिए **SGPA(S_j) = $\Sigma(C_i x G_i)/ \Sigma C_i$**	यहाँ परः C_i = number of credits of the i^{th} course in j^{th} semester. G_i=grade point scored by the student in the i^{th} course in j^{th} semester
CGPA = $\Sigma(C_j x S_j)/ \Sigma C_j$	यहाँ परः S_j=SGPA of the j^{th} semester. C_j=total number of credits in the j^{th} semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियो को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

7. किसी भी विद्यार्थी को सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री तब ही प्रदान किया जायेगा, जबकि उसने अपने पूर्ण आवश्यक केडिट प्राप्त कर लिये हो ।

पेपर का प्रकार	**अधिकतम अंक**	**सतत् आंतरिक मूल्यांकन**	**बाह्य परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा)**	**उत्तीर्णांक**
मुख्य एवं माइनर विषयों का थ्योरी पेपर	**100**	**25**	**75**	**33 %** अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। **उत्तीर्ण होने हेतु** (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रेक्टिकल पेपर	**100**	**नहीं होगा**	**100**	**33 %**
सह-पाठ्यकम कोर्स	**100**	**नहीं होगा**	**100**	**33 %**
लघु शोध	**100**	**नहीं होगा**	**100**	**33 %**
कौशल विकास कोर्स	**100**	(अ) प्रशिक्षण / ट्रेनिंग / प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा (ब) सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा।		कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से **न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे**। प्रशिक्षण / ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

संग्लनक-2

स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं परास्नातक (एम०ए०, एस०एम०सी०, एम०कॉम०) हेतु ग्रेडिंग प्रणाली।

सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा FYUP को अंगीकृत कर लिया गया है। इसके अंतर्गत स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यकमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	36-40	4
F	Fail	0-35	0
AB	Absent		0

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 मुख्य विषयों का प्रत्यके कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36 प्रतिशत होगा । वृहद शोध परियोजना के कोर्स /पेपर भी पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इनमें भी उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत ही होगा।

2.2 सभी विषयों के मुख्य पेपर (केवल थ्योरी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। मुख्य विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (केवल थ्योरी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.3 सभी विषयों के मुख्य पेपर(प्रेक्टिकल)/शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर के अधिकतम 100 अंको की बाह्य परीक्षा विश्वविद्यलाय द्वारा करवाई जायेगी। इनमे कोई सतत् आन्तरिक मूल्यांकन नही करवाया जायेगा। अतः मुख्य विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (प्रेक्टिकल)/शोध परियोजना में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.5 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सेमेस्टर में जिस पेपर में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा, उसे उस पेपर को बैक पेपर (Re-Exam) के रूप में देना होगा ।

3.2 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसको न्यनूतम 4.5 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातक (मानद) अथवा स्नातक (एप्रिन्ट्ससिप एम्बेडिड) की उपाधि दी जायेगी।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement)

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टरर्स में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी सुधार (Improvement) की परीक्षा केवल किन्हीं भी दो पेपर में दे सकता है।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स / पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है।

4.5 काल अवधिः किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी। व्याख्याः- (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम छः वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात् स्नातक (मानद अथवा मानद शोध सहित) की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह परास्नातक के एक वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के एक वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष मिलेगें।

5. CGPA की गणना

5.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः

j^{th} सेमेस्टर के लिए **SGPA(S_j) = $\Sigma(C_i x G_i)/ \Sigma C_i$**	यहाँ परः C_i = number of credits of the i^{th} course in j^{th} semester. G_i=grade point scored by the student in the i^{th} course in j^{th} semester
CGPA = $\Sigma(C_j x S_j)/ \Sigma C_j$	यहाँ परः S_j=SGPA of the j^{th} semester. C_j=total number of credits in the j^{th} semester.

5.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

5.3 विद्यार्थियो को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

5.4 किसी भी विद्यार्थी को डिग्री तब ही प्रदान की जायेगी, जबकि उसने अपने पूर्ण आवश्यक क्रेडिट्स प्राप्त कर लिये हो।

पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन	बाह्य परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा)	उत्तीर्णांक
मुख्य विषय के थ्योरी पेपर	100	25	75	36 % अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। **उत्तीर्ण होने हेतु** (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।
मुख्य विषय के प्रेक्टिकल पेपर	100	नहीं होगा	100	36 %
शोध परियोजना	100	नहीं होगा	100	36 %

Options Regarding Selection of MINOR paper in UG I and II year as per FYUP

S.No.	Level		Options	
1	UG First Year (either in I or II Semester)	If opted in Semester-I	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-I	**OR** Any one paper among listed by University from SWAYAM Portal or any other Online platform. University will provide a list of Online Papers at the beginning of each session.
		If opted in Semester-II	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-II	
2	UG Second Year (either in III or IV Semester)	If opted in Semester-III	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-I and III	
		If opted in Semester-IV	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-II and IV	

Note: The provision of multi-faculty is to be maintained as per NEP-2020.

कॉलेज में प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं सूचनाएँ

1. महाविद्यालय में समस्त प्रवेश ऑनलाईन माध्यम से आवेदन किया जाएगा।
2. (अ) ऑनलाईन भरे गए प्रवेश आवेदन–पत्र की प्रति कांउसिलिंग हेतु बुलाए जाने पर अन्य प्रपत्रों के साथ प्रवेशाधिकारी के पास जमा करना होगा। (ब) प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों को निर्धारित तिथि तक कॉलेज फीस एक ही किस्त में (ऑनलाईन माध्यम से) में जमा करनी होगी, जो फिर वापस नहीं की जायेगी।
   (स) प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद प्रवेशाधिकारी को दिखाकर नोट करवाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
3. अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी स्थिति में प्रविष्ट नहीं किये जायेंगे।
4. कला संकाय में बी.ए. (प्रथम वर्ष) के प्रवेश आवेदन–पत्र में भरे गये विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
5. बी.ए., बी.एससी. (द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर), एम.एससी. (द्वितीय सेमेस्टर) एवं एलएल.बी. की विभिन्न वर्षों की कक्षाओं में अन्य कॉलेजों से आये हुए छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें कॉलेज सूचना–पट पर ही सूचित की जायेंगी, छात्र–छात्राएँ सूचना–पट देखते रहें।
7. प्रवेश शुल्क जमा कर देने से ही प्रवेश नहीं माना जायेगा। प्रवेश तभी मान्य होगा, जब विद्यार्थी के प्रवेश फार्म पर प्रवेश अधिकारी 'प्रविष्ट' शब्द अंकित कर दे तथा विधिवत् प्रवेशित छात्र/छात्रा सूची में नाम आ जाये और प्रवेशार्थी अपने सभी वांछित प्रमाण–पत्र जमा करा दें। ऐसा न होने पर यदि प्रवेश–पत्र पर आदेश हो भी गये हैं तो भी प्रवेश अप्रभावी होगा।
8. सभी प्रवेश तभी स्थायी माने जायेंगे जबकि विद्यार्थी संतोषजनक चरित्र–प्रमाणपत्र (Character Certificate), प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) जमा करा देगा अथवा अभिवचन पत्र लेकर अगली तिथि तक प्रस्तुत कर देगा। तिथियों की विज्ञप्ति सूचना पट पर की जायेगी। उक्त प्रमाण–पत्रों को जमा न करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. यदि विद्यार्थी इस कॉलेज में पहले पढ़ चुका है और उसने अपना टी.सी. जमा करा दिया है तो उसे प्रवेश आवेदन–पत्र में इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये तथा उस वर्ष का भी उल्लेख कर देना चाहिये जिसमें टी.सी. जमा किया था।
10. जिन विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत (Private) रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे किसी राजपत्रित अधिकारी से सच्चरित्रता का प्रमाण–पत्र दें, जिसमें इन दो बातों का उल्लेख नितांत आवश्यक है–1 जन्मतिथि, 2. गत परीक्षा की श्रेणी।
11. (अ) प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ विद्यार्थियों को हाईस्कूल तथा उसके आगे की समस्त परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपि अवश्य लगानी चाहिए।
    (ब) प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिकाएं देखी जायेंगी।
12. प्रवेश के लिए साक्षात्कार की तिथि की सूचना, सूचना पट पर भी लगा दी जायेगी। उस तिथि पर आवेदनकर्ताओं को सभी आवश्यक मूल प्रपत्रों के साथ आना होगा।

13. जो छात्र और छात्रायें परीक्षाओं में दुर्व्यवहार अथवा कॉलेज में अनुशासनहीनता करते हुए पाये जायेंगे, उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग करते पाये जाने वाले छात्र–छात्राओं को आगामी सत्र में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
14. रेलवे की रियायती टिकटों के लिए रेलवे अधिनियमों के अनुसार ही प्रमाण–पत्र दिये जायेंगे।
15. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से आये हुए अथवा इण्टरमीडिएट की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
16. प्राचार्य को किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश न देने अथवा प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
17. उपयुक्त समस्त नियमो के अतिरिक्त डॉ. भामराव आबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के प्रवेश सम्बन्धी नियम सभी प्रवेशों पर लागू होंगे।
18. छात्रवृत्ति के पात्र सभी छात्र–छात्राओं को प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अथवा शासन की निर्धारित तिथि तक छात्रवृत्ति का फार्म जमा कर, ऑनलाइन पूर्ण करना अनिवार्य है।
19. समस्त प्रवेशित छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय की निर्धारित यूनीफार्म में नियमित रूप से कॉलेज में उपस्थित होना होगा। यूनीफार्म का विवरण निम्नवत है

    छात्र–नीली धारी की शर्ट एवं काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला स्वेटर/ब्लेजर।

    छात्राएँ–नीली धारी का कुर्ता या शर्ट एवं सफेद सलवार या काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला स्वेटर/ब्लेजर।

विधि विभागः

छात्र–सफेद शर्ट एवं काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला ब्लेजर/स्वेटर।

छात्राएँ–सफेद कुर्ता एवं सलवार या सफेद शर्ट एवं काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला ब्लेजर/स्वेटर।

महाविद्यालय के लिये निर्धारित शुल्क सारणी

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क

(अ) शैक्षणिक शुल्कः

(i) बी.ए./बी.एससी.	₹ 11.00 प्रति माह ₹ 132.00 वार्षिक
(ii) एम. ए./एम. एससी.	₹ 15.00 प्रति माह ₹ 180.00 वार्षिक
(iii) एलएल.बी./एलएल.एम.	₹ 15.00 प्रति माह (₹ 180.00 वार्षिक)

(ब) अन्य शुल्कः

(i) महँगाई शुल्क	₹ 3.50 प्रति माह (₹ 42.00 वार्षिक)
(ii) विकास शुल्क	₹ 30.00 वार्षिक

(iii) निर्धन छात्र कोष	₹ 1.00 प्रति माह (₹ 12.00 वार्षिक)
(iv) प्रवेश शुल्क	₹ 3.00 केवल एक बार
(v) आकस्मिक शुल्क	₹ 30.00 वार्षिक
(vi) **पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष**	
(क) स्नातक कक्षायें	₹ 30.00 वार्षिक
(ख) परास्नातक कक्षायें	₹ 37.50 वार्षिक
(vii) **प्रयोगशाला अधिभार**	
(क) बी.ए. / एम.ए.	₹ 25.00 वार्षिक
(ख) बी.एससी.	₹ 35.00 वार्षिक
(ग) एम.एससी.	₹ 50.00 वार्षिक
(viii) **छात्र कल्याण कोषः**	
(अ) अन्य	₹ 12.00 वार्षिक
(IX) मेडिकल शुल्क	
(अ) आवासीय	₹ 20.00 वार्षिक
(ब) अन्य	₹ 12.00 वार्षिक

2. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा निर्धारित शुल्क

(अ) प्रयोगशाला शुल्कः

(i) बी.एससी.	₹ 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(ii) बी.एससी. (कृषि)	₹ 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(iii) बी.ए. (भूगोल, मनोविज्ञान, सैन्य अध्ययन, चित्रकला, संगीत तथा गृह विज्ञान	₹ 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(iv) एम.एससी. (रसायन विज्ञान)	₹ 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(v) एम.एससी.(भौतिक, सांख्यिकी, वनस्पति, जन्तु तथा भूगर्भ विज्ञान, कृषि)	₹ 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(vi) एम.ए. (मनोविज्ञान, चित्रकला तथा संगीत)	₹ 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह

(ब) शोध शुल्कः

(i) पीएच.डी. शुल्क (कला शिक्षा, वाणिज्य, विधि संकाय तथा गणित)	₹ 1200.00 वार्षिक
(ii) पीएच.डी. शुल्क (विज्ञान तथा कृषि संकाय)	₹ 2400.00 वार्षिक

(स) अन्य शुल्कः

(i) स्थानान्तरण (टी.सी.) प्रमाण–पत्र	₹ 2.00 वार्षिक
(ii) पंजीकरण	₹ 25.00 वार्षिक
(iii) परिचय–पत्र	₹ 8.00 वार्षिक
(iv) क्रीड़ा	₹ 200.00 वार्षिक
(v) विद्युत शुल्क	₹ 480.00 वार्षिक
(vi) मौसम शुल्क	₹ 24.00 वार्षिक

(vii) पत्रिका शुल्क	₹ 80.00 वार्षिक
(viii) पार्किंग शुल्क	₹ 540.00 वार्षिक
(ix) वोकेशनल शुल्क	₹ 500.00 वार्षिक

(x) वार्षिक समारोह / दीक्षान्त समारोह, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमः

(क) दो हजार छात्र संख्या से ऊपर	₹ 6.00 प्रति छात्र
(ख) दो हजार छात्र संख्या से नीचे	₹10.00 प्रति छात्र
(xi) कॉलेज भवन रख–रखाव शुल्क (आवासीय भवनों तथा अतिथिगृह के रखरखाव को छोड़कर)	₹ 30.00 प्रति छात्र
(xii) सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	₹ 100.00 वार्षिक
(xiii) ICT शुल्क	₹ 200.00 वार्षिक
(xiv) स्काउड एण्ड गाइड शुल्क	₹ 50.00 वार्षिक

College Building repairing fee shall be deposited in a Nationalised Bank and account shall be operated by the Principal- It shall be spent in the repairing and upkeep of the College building only.

कॉलज भवन रखरखाव शुल्क राष्ट्रीकृत बैंक में जमा किया जायेगा तथा प्राचार्य द्वारा यह खाता संचालित होगा। यह धन केवल कॉलेज भवन के ही रख–रखाव पर व्यय किया जायेगा।

(द) विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन शुल्क

(i) नामांकन शुल्क	₹ 300.00 वार्षिक
(ii) डिग्री शुल्क	₹ 300.00 वार्षिक
स्नातक स्तर के पाठयक्रम की परीक्षा शुल्कः	₹ 1600.00 वार्षिक

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम की परीक्षा शुल्कः

(अ) एम0एस0सी0 पूर्वाद्ध	₹ 2200.00 सेमेस्टर
(ब) एम0एस0सी0 उत्तर्राद्ध	₹ 2270.00 सेमेस्टर
(स) एम0ए0 पूर्वाद्ध	₹ 2000.00 सेमेस्टर
(द) एम0ए0 उत्तर्राद्ध	₹ 2070.00 सेमेस्टर

एन.सी.सी. लेने वाले छात्र / छात्राओं को 1000 / – प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जिसे एन.सी.सी. छोड़ने पर देय राशि, यदि कोई हो, की कटौती के साथ वापस कर दी जायेगी।

फीस विवरण सत्र् 2026–27

AGRA COLLEGE AGRA

Annual Fess Chart 2026-27

Name of Course	For Boys	For Girls
Course of Science Faculty		
B.Sc. I (Bio) (Zoology, Botany, Chemistry)	6052.00	5920.00
B.Sc. II (Bio) (Zoology, Botany, Chemistry)	5452.00	5320.00
B.Sc. III (Bio) (Zoology, Botany, Chemistry)	4952.00	4820.00
B.Sc. I (Math) (Physics, Chemistry, Maths & Statistics)	6052.00	5920.00
B.Sc. II (Math) (Physics, Chemistry, Statistics)	5452.00	5320.00
B.Sc. II (Math) (Physics, Chemistry, Maths)	5212.00	5080.00
B.Sc. III (Math) (Physics, Chemistry, Maths, & Statistics)	4952.00	4820.00
M.Sc. P (All Subjects) (Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology & Statistics)	7592.50	7412.50
M.Sc. F (All Subjects) (Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology & Statistics)	7432.50	7252.50
Course of Arts Faculty		
B.A.I (Without Practical) Hindi, English, Sanskrit, Economics, History	5297.00	5165.00
B.A. II(Without Practical) Hindi, English, Sanskrit, Economics, History	4697.00	4565.00
B.A. III(Without Practical) Hindi, English, Sanskrit, Economics, History	4197.00	4065.00
B.A.I (With One Practical) Psychology, Drawing, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	5562.00	5430.00
B.A.I (With Two Practical) Psychology, Drawing, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	5802.00	5670.00
B.A.I (With Three Practical) Psychology, Drawing, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	6042.00	5910.00
B.A.II (With One Practical) Psychology, Drawing, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	4962.00	4830.00
B.A.II (With Two Practical) Psychology, Drawing, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	5202.00	5070.00
B.A.II (With Three Practical) Psychology, Drawing, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	5442.00	5310.00
B.A.III (With One Practical) Psychology, Drawing, Maths, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	4462.00	4330.00
B.A.III (With Two Practical) Psychology, Drawing, Maths, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	4702.00	4570.00
B.A.III (With Three Practical) Psychology, Drawing, Maths, D.S.S.T, Phy.Education, Philosophy, Pol.Science, Sociology, Music	4942.00	4810.00
M.A. P (All Subject) Hindi, English, Sanskrit, Pol.Science, Philosophy, History, Economics & Math ,Psychology, Drawing & Painting	7192.50	7012.50
M.A. F Hindi, English, Sanskrit, Pol.Science, Philosophy, History, Economics & Math, Psychology, Drawing & Painting	7032.50	6852.50
Course of Law Faculty		
LL.B. I Year	4645.00	4465.00
LL.B. II &III Year	4345.00	4165.00
LL.M. I Year	5202.50	5202.50
LLM. II Year	4902.50	4902.50
Course of Self Finance Scheme		
B.Com. I Year	14183.00	
B.Com. II Year	13083.00	
B.Com. IIIYear	12583.00	
B.Sc. (Biotech) I Year	36965.00	
B.Sc. (Biotech) II &III Year	35915.00	
M.Com. I Year	16760.00	
M.Com. II Year	16460.00	
P.G. Diploma in Journalism	16560.00	
B.Ed I Year	51250.00 (790+Exam Fees)	
B.Ed II Year	30000.00 (590+Exam Fees	
B.A.LL.B. I Year	16040.00	
B.A.LL.B. II . III . IV & V Year	15740.00	
Certificate Course in Computer Application	6740.00	
Certificate Course in Journalism	6740.00	
Certificate Course in Biostatistics & Industrial Application	6740.00	

BCA I Semester	17687.00	**BBA I Semester**	17287.00
BCA II Semester	16510.00	**BBA II Semester**	16310.00
BCA III Semester	17637.00	**BBA III Semester**	17237.00
BCA IV Semester	16260.00	**BBA IV Semester**	16060.00
BCA V Semester	17637.00	**BBA V Semester**	17237.00
BCA VI Semester	16260.00	**BBA VI Semester**	16060.00
P.hd.			1200.00 / 2400.00

छात्रावास

1. आगरा कॉलेज में दूरस्थ छात्रों को रहने की सुविधा के लिये सात छात्रावास हैं। सभी छात्रावासों में छात्रों के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छात्रावास निम्नलिखित हैं।

1. रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास (आर.एल.बी.)	केवल छात्राओं के लिये
2. पं. के. डी. मालवीय छात्रावास	छात्रों के लिये
3. सी.एस.ए. छात्रावास	छात्रों के लिये
4. सप्रू छात्रावास	छात्रों के लिये
5. शहीद भगत सिंह छात्रावास	छात्रों के लिये
6. थामसन छात्रावास	छात्रों के लिये
7. बी.एन. छात्रावास	छात्रों के लिये

छात्रावासों की देखरेख के लिये समुचित प्रबन्ध रहता है। प्रत्येक छात्रावास के पृथक–पृथक संरक्षक होते हैं। सभी संरक्षक छात्रावास परिषद के सदस्य होते हैं जो छात्रों के हितों का ध्यान रखते हैं।

2. कॉलेज के छात्रावास (छात्र एवं छात्राओं के लिये)– कॉलेज के सभी छात्रावास प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय के छात्रों के लिए खुले हैं। इनमें एक छात्रावास छात्राओं हेतु है। छात्रावासों में स्थान सीमित होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं है। कॉलेज में विधिवत प्रविष्ट छात्र–छात्राएँ छात्रावास में योग्यता के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे। प्रत्येक छात्रावासी को एक–एक मेज, कुर्सी, चारपाई तथा स्टूल उपलब्ध होगा।
3. छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रावास कार्यालय से आवेदन–पत्र नियमावली सहित समूल्य प्राप्त किया जा सकता है।
4. (अ) छात्रावास की वार्षिक फीस का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	किन कक्षाओं हेतु	वार्षिक शुल्क
1.	सप्रू छात्रावास	स्नातक छात्रों हेतु	17,000.00
2.	थामसन छात्रावास	स्नातक छात्रों हेतु	17,000.00
3.	बी.एन. छात्रावास	स्नातक छात्रों हेतु	17,000.00
4.	शहीद भगत सिंह छात्रावास	विधि कक्षाओं हेतु	17,000.00
5.	रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास	स्नातक एवं	
	पुराना अनुभाग	स्नातकोत्तर छात्राओं हेतु	15,000.00
	नवीन अनुभाग	इंजीनियरिंग	
		तथा टैक्नो. संकाय छात्राओं हेतु	17,000.00
6.	पं. के. डी. मालवीय छात्रावास	इंजी. तथा टैक्नों. संकाय	
		छात्रों हेतु	17,000.00
7.	चन्द्रशेखर आजाद छात्रावास	इंजी. तथा टैक्नों. संकाय	
		छात्रों हेतु	17,000.00

नोटः छात्रावास की पूरी फीस प्रवेश के समय एक ही किस्त में देय होगी।

(ब) उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित धनराशि भी देय होगी

(i) सभी छात्र–छात्राओं से जनरेटर शुल्क रू 500/– वार्षिक अतिरिक्त देय होगा।

(ii) सभी छात्र–छात्राओं को रू 5,000/– धरोहर राशि सभी शुल्कों सहित प्रथम प्रवेश के साथ अलग से देय होगी, जिसे छात्रावास छोड़ने पर देय राशि कटौती (यदि लागू है) के साथ वापस होगी।

(iii) सिंगल सीटेड कमरे के रू 7500/– वार्षिक शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

(iv) छात्र/छात्राओं द्वारा कूलर उपयोग करने पर प्रति माह प्रति कूलर रू 500/– अतिरिक्त देय होगा।

नोट– अतिरिक्त जल व्यय एवं अतिरिक्त बिजली व्यय होने की दशा में प्रति छात्र से वह औसत के रूप में लिया जायेगा।

5. छात्रवृत्ति– छात्रावास के योग्य विद्यार्थियों को **कालविन छात्रवृत्तियाँ** 10 माह के लिए दी जायेंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति रू 10 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी होगी।

उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन–पत्र मुख्य संरक्षक के पास निर्धारित तिथि तक पहुँच जाने चाहिए।

टिप्पणी– (i) उपर्युक्त नियमों को सत्र के मध्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है जो परिवर्तन के बाद अविलम्ब लागू समझे जायेंगे।

(ii) छात्रावासों में प्रवेश संरक्षक की संस्तुति पर ही किये जायेंगे।

6. सेवारत अथवा नगर में रहने वाले छात्रों को छात्रावास को पूरे सत्र की फीस देनी होगी।
7. सत्र के मध्य में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को पूरे सत्र की फीस देनी होगी।

छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार

1. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, केन्द्रीय सरकार, रेलवे एवं प्रादेशिक सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त आगरा कॉलेज मेधावी एवं निर्धन छात्र–छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियाँ देता है।
2. सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण उ. प्र. शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत एक समिति के द्वारा होता है, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्राचार्य एवं सदस्य प्राचार्य द्वारा वर्गवार नामित शिक्षक होते हैं। छात्रवत्ति के पात्र सभी छात्र–छात्राओं को प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति का फार्म जमा करना अनिवार्य है।
3. उपयुक्त एवं योग्य विद्यार्थियों की सम्पूर्ण संख्या 10% के हिसाब से पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं 15% के हिसाब से अर्द्ध शुल्क मुक्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी

सहायता कोष से शुल्क मुक्ति एवं परीक्षा शुल्क भी प्रदान की जाती है। रियायतें उसी स्थिति में वर्ष भर लागू रहती है जबकि विद्यार्थी की अच्छी प्रगति और शिष्ट आचरण हो।

4. शुल्क मुक्ति के लिए कार्यालय से छपे हुए प्रार्थना–पत्र मिलते हैं, जिनके मिलने तथा जमा करने की तिथियाँ कार्यालय सूचना पट–पर चस्पा कर दी जाती है। इसके परिणाम प्रायः अक्टूबर/नवम्बर तक घोषित कर दिये जाते हैं। किसी भी स्थिति में प्रवेश से पूर्व इन पर कोई विचार तथा निर्णय नहीं होता ।
5. किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति दोनों एक साथ नहीं दी जायेगी। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तथा इन परीक्षाओं के विभिन्न विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को सत्र के समापन की पूर्व बेला में महाविद्यालय की ओर से पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।

केन्द्रीय पुस्तकालय

कॉलेज के केन्द्रीय ग्रन्थालय का अपना एक पृथक भवन है, जिसमें पाठ्य सामग्रियों की व्यवस्था तथा पाठकों की सुविधा के लिए अनेक अनुविभाग हैं। संकलन में उच्च कोटि की पाठ्य सामग्रियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें कोर्स बुक तथा शोध की सामग्रियों का बाहुल्य है। वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें शोध–पत्रिकाओं की सजिल्द प्रतियाँ भी है। अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए 300 से अधिक शोध स्तरीय, विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान की देशी एवं विदेशी पत्रिकायें मंगाई जाती हैं, जिनकी प्रतियों को सुरक्षित रखा जाता है।

केन्द्रीय ग्रन्थालय लगभग 12 घण्टे खुला रहता है। लाइब्रेरी कार्ड पर दो पुस्तकें 15 दिनों के लिए घर पढ़ने के लिए प्रदान की जाती हैं।

केन्द्रीय ग्रन्थालय के अतिरिक्त विभागों में भी ग्रन्थालय हैं, जिनमें उच्चकोटि के ग्रन्थ एवं पत्र–पत्रिकायें मंगाई जाती हैं।

बुक बैंक

पर्याप्त धनराशि की लागत से एक टैक्स्ट बुक–बैंक की भी स्थापना की गयी है, जहाँ से निर्धन तथा योग्य सभी विषयों के छात्र एवं छात्राओं को साल भर के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके लिए पृथक आवेदन–पत्र देना पड़ता है। सभी पुस्तकें सत्र के अन्त में परीक्षा से पूर्व लौटाना अनिवार्य है।

एन.सी.सी.

कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं के लिए एन.सी.सी. का प्रावधान है। महाविद्यालय में एन.सी.सी. की आर्मी, गर्ल्स एवं एयर विंग हैं, जिनके अन्तर्गत क्रियात्मक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य सेना की तीनों विंगों के लिए सुयोग्य व्यक्ति तैयार करना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं प्रौढ़ शिक्षा

कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) की व्यवस्था भी है, जिसका कार्य राष्ट्र–निर्माण में छात्र–छात्राओं को योगदान देना है। राष्ट्रीय सेवा योजना में केवल बी.ए./ बी.एससी. के छात्र–छात्राएँ ही प्रवेश पा सकते हैं। प्रवेश साक्षात्कार के आधार पर होता है, जिसके प्रमाण–पत्रों के आधार पर बी.एड. तथा अन्य कक्षाओं के प्रवेश में अतिरिक्त अंक मिलते हैं। कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की छः इकाइयाँ हैं जिनके अलग–अलग योजना अधिकारी हैं, जो समाज सेवा के कार्यों में छात्र–छात्राओं का पथ–प्रदर्शन करते हैं।

रोवर्स रेंजर्स

छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास हेतु कॉलेज में रोवर्स रेंजर्स यूनिट संचालित हैं।

खेलकूद एवं चिकित्सालय सुविधायें

कॉलेज में विभिन्न Indoor और Outdoor खेलों की सुविधा है। कॉलेज का सुन्दर क्रीड़ा स्थल है जहाँ पिंगपोंग, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केट बॉल, कबड्डी, खो–खो, बैडमिंटन आदि खेलों के खेलने की समुचित व्यवस्था है। एक बड़ा जिम्नेजियम हॉल है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। छात्राओं के लिए खेलकूद की पृथक व्यवस्था है। कॉलेज का एक चिकित्सालय है, जिसमें योग्य चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर छात्रों की देखरेख करते हैं।

छात्र–कल्याण केन्द्र

छात्र कल्याण केन्द्र में वर्षभर विद्यार्थियों की महाविद्यालय सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों का निराकरण कर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है तथा सूचनाओं, रोजगार सम्बन्धी विज्ञापनों आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। इन्डोर गेम्स, टी.वी. एवं वी.सी.आर. के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियाँ भी इसी केन्द्र द्वारा संचालित होती हैं।

शुल्क (Fees)

1. सभी प्रकार के शुल्क Online अथवा कॉलेज परिसर में स्थित केनरा बैंक में जमा किये जाते हैं।
2. यदि शुल्क यथा समय जमा न करने से अथवा अन्य किसी कारण से नाम कट जाने से उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रह जाती हैं,तो ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे।
3. विश्वविद्यालय को नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किये जायेंगे, जबकि छात्र उस समय तक सम्पूर्ण शुल्क जमा करा देगा।
4. कुल फीस एक ही किस्त (इस्टॉलमेण्ट) में देय होगी।
5. जिन छात्र–छात्राओं को फीस में रियायत दी जाती है, वे अपनी अतिरिक्त धनराशि जून तक वापिस ले लें अन्यथा कोई वापसी नहीं होगी।

S. No.	CONTENTS			PAGE No.
1	**Course Structure As Per Three Year UG Programme (TYUP) Under NEP 2020**			3-4
2	**Course Structure As Per Four Year UG Programme (FYUP) Under NEP 2020**			5-6
3	**Evaluation Criteria For Course Structure: Semester I To VI (As Per University)**			7
4	**Evaluation Criteria For Course Structure: Semester VII To X (As Per University)**			8
5	**Distribution of Credits (As Per NEP 2020)**			9
6	**Distribution of Periods (As Per NEP 2020)**			10
7	**Number of Sections for Major & Minor**			11
TIME TABLE				
S. No.	**COURSE**	**YEAR**	**SEMESTER**	**PAGE No.**
8	**FACULTY OF SCIENCE**			**12-20**
8.1	B.Sc. (Biology Group) Section Nomenclature '**A**'	First	I & II	13
8.2		Second	III & IV	14
8.3		Third	V & VI	15
8.4	B.Sc. (Mathematics Group) Section Nomenclature '**B**'	First	I	16
8.5			II	17
8.6		Second	III & IV	18
8.7		Third	V	19
8.8			VI	20
9	**FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES**			**21-35**
9.1	B.A. (Girls) Section Nomenclature '**GC**'	First	I	22
9.2			II	23
9.3		Second	III	24
9.4			IV	25
9.5		Third	V	26
9.6			VI	27
9.7	B.A. (Boys) Section Nomenclature '**BC**'	First	I	28
9.8			II	29
9.9		Second	III	30
9.10			IV	31
9.11		Third	V	32
9.12			VI	33
9.13	Main Block Room Allotment			34
9.14	Women's Wing Room Allotment			35

UG COURSE STRUCTURE: FIRST, SECOND & THIRD YEAR OF HIGHER EDUCATION
AS PER THREE YEAR UNDER-GRADUATE PROGRAMME (TYUP) UNDER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020

YEAR	SEMESTER	CREDIT BASED (FOR EVALUATION OF SGPA & CGPA)					GRADE BASED (ONLY QUALIFYING)		MINIMUM CREDITS PER YEAR
		MAJOR			MINOR	VOCATIONAL / SKILL DEVELOPMENT COURSE	CO-CURRICULAR COURSE (Credit 2)	MINOR RESEARCH PROJECT / Industrial Training / Internship / Survey Work (Credit 3)	
		SUBJECT 1	SUBJECT 2	SUBJECT 3	SUBJECT 4				
		FACULTY 1	FACULTY 1	FACULTY 1 / 2	FACULTY 2 (If Subject 3 is from Faculty 1) FACULTY 1 / 2 / 3 (If Subject 3 is from Faculty 2)				
FOR CERTIFICATE PROGRAMME (CREDIT 46) [UP TILL SESSION 2024-25]									
UG FIRST	**I**	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 4 / 6 Either in Semester I or II	Credit: 3	Food, Nutrition & Hygiene		46
	II	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 6		Credit: 3	First Aid & Health		
FOR DIPLOMA PROGRAMME (CREDIT 46 + 46 = 92) [UP TILL SESSION 2025-26]									
UG SECOND	**III**	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 4 / 6 Either in Semester III or IV	Credit: 3	Human Values & Environment Studies		46
	IV	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 6		Credit: 3	Physical Education & Yoga		
FOR BACHELOR DEGREE PROGRAMME (CREDIT 46 + 46 + 40 = 132) [UP TILL SESSION 2026-27]									
			SUBJECT - 2 / 3						
UG THIRD	**V**	Credit: 10	Credit: 10				Analytic Ability & Digital Awareness	Either in Subject 1 or 2 / 3	40
	VI	Credit: 10	Credit: 10				Communication Skills & Personality Devel.	Either in Subject 1 or 2 / 3	

PG COURSE STRUCTURE: FOURTH & FIFTH YEAR OF HIGHER EDUCATION
AS PER THREE YEAR UNDER-GRADUATE PROGRAMME (TYUP) UNDER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020

YEAR	SEMESTER	CREDIT BASED (FOR EVALUATION OF SGPA & CGPA)				MINIMUM CREDITS PER YEAR
		MAJOR SUBJECT 1 FACULTY 1	STRUCTURE OF MAJOR	MINOR SUBJECT 2 FACULTY 2	MAJOR RESEARCH PROJECT / Industrial Training / Internship / Survey Work	
FOR MASTER DEGREE PROGRAMME (CREDIT 132 + 52 + 48 = 232) [UP TILL SESSION 2027-28]						
FOURTH (PG FIRST)	VII	Credit: 20	4 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 5)	Credit: 4 / 5 / 6 Either in Semester VII or VIII	Credit: 4	52
	VIII	Credit: 20	4 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 5)		Credit: 4	
[UP TILL SESSION 2028-29]						
FIFTH (PG SECOND)	IX	Credit: 20	4 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 5)		Credit: 4	48
	X	Credit: 20	4 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 5)		Credit: 4	

COURSE STRUCTURE: FIRST, SECOND & THIRD YEAR OF HIGHER EDUCATION
AS PER FOUR YEAR UNDER-GRADUATE PROGRAMME (FYUP) UNDER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020

YEAR	SEMESTER	CREDIT BASED (FOR EVALUATION OF SGPA & CGPA)					
		MAJOR Under Chosen Programme		MINOR From Any Programme	VOCATIONAL / SKILL ENCHANCEMENT COURSE (SEC)	CO-CURRICULAR / ABILITY ENCHANCEMENT COURSE (AEC) (Credit 2)	RESEARCH PROJECT / DISSERTATION / Internship / Field or Survey Work (Credit 3)
		SUBJECT 1 FACULTY 1	SUBJECT 2 FACULTY 1 / 2	SUBJECT 3 FACULTY 2 (If Subject 2 is from Faculty 1) FACULTY 1 / 2 / 3 (If Subject 2 is from Faculty 2)			
FOR CERTIFICATE PROGRAMME (CREDIT 40) [W.E.F. SESSION 2025-26]							
FIRST	I	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 3	First Aid & Health	
	II	Credit: 6	Credit: 6		Credit: 3	Human Values & Environment Studies	
FOR DIPLOMA PROGRAMME (CREDIT 40 + 40 = 80) [W.E.F. SESSION 2026-27]							
SECOND	III	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 6	Credit: 3	Physical Education & Yoga	
	IV	Credit: 6	Credit: 6			Social Responsibility & Community Engagement OR Indian / Local Language	Either in Subject 1 or 2
FOR BACHELOR DEGREE PROGRAMME (CREDIT 40 + 40 + 40 = 120) [W.E.F. SESSION 2027-28]							
THIRD	V	Credit: 10	Credit: 10				
	VI	Credit: 10	Credit: 10				

COURSE STRUCTURE: FOURTH & FIFTH YEAR OF HIGHER EDUCATION
AS PER FOUR YEAR UNDER-GRADUATE PROGRAMME (FYUP) UNDER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020

YEAR	SEMESTER	CREDIT BASED (FOR EVALUATION OF SGPA & CGPA)		
		MAJOR SUBJECT 1 FACULTY 1	STRUCTURE OF MAJOR	RESEARCH PROJECT / DISSERTATION / Internship / Field or Survey Work
FOR FOUR YEAR BACHELOR (HONOURS) DEGREE PROGRAMME (CREDIT 120 + 40 = 160) [W.E.F. SESSION 2028-29]				
FOURTH	VII	Credit: 20	4 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 5 Th (Credit 4)	
	VIII	Credit: 20	4 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 5 Th (Credit 4)	
OR				
FOR FOUR YEAR BACHELOR (HONOURS WITH RESEARCH) DEGREE PROGRAMME (CREDIT 120 + 40 = 160) [W.E.F. SESSION 2028-29]				
FOURTH	VII	Credit: 16	3 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 4)	Credit: 4
	VIII	Credit: 16	3 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 4)	Credit: 4
OR				
FOR FOUR YEAR BACHELOR (APPRENTICESHIP EMBEDDED) DEGREE PROGRAMME (CREDIT 120 + 40 = 160) [W.E.F. SESSION 2028-29]				
FOURTH	VII	Credit: 40	12 Months Apprenticeship / Internship Through NATs Or From Equivalent Organization / Industry / Institute	
	VIII			
FOR MASTER DEGREE PROGRAMME (CREDIT 120 + 40 + 40 = 200) [W.E.F. SESSION 2029-30]				
FIFTH	IX	Credit: 16	3 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 4)	Credit: 4
	X	Credit: 16	3 Th (Credit 4) + 1 Pr (Credit 4) OR 4 Th (Credit 4)	Credit: 4

EVALUATION CRITERIA FOR COURSE STRUCTURE: SEMESTER I TO VI
AS PER DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

PAPER	SEMESTER	NATURE	CREDIT	PASSING MARKS (PERCENTAGE)					
				Internal (CIE)		University Exam		Total	
				Max	Min	Max	Min	Max	Min
Theory (Major / Minor)	I to VI	Credit Based (For Evaluation of SGPA & CGPA)	2 / 4 / 6	25	0 (0 %)	75	25 (33 %)	100	33 (33 %)
Practical (Major / Minor)	I to IV		2 / 4	NA	NA	100	33 (33 %)	100	33 (33 %)
	V to VI			25	0 (0 %)	75	25 (33 %)		
Co-Curricular Course	I to IV		2	NA	NA	100	33 (33 %)	100	33 (33 %)
Research Project / Dissertation	IV [Conducted By]		3	NA	NA	100	33 (33 %) Supervisor + External	100	33 (33 %)
Vocational Course	I to III		3	NA	NA	NA	NA	100	40 (40 %)
Co-Curricular Course	V to VI	Grade Based (Only Qualifying)	2	25	0 (0 %)	75	30 (40 %)	100	40 (40 %)
Minor Research Project	VI [Conducted By]		6	25	0 (0 %) Supervisor	75	30 (40 %) Supervisor + External	100	40 (40 %)

EVALUATION CRITERIA FOR COURSE STRUCTURE: SEMESTER VII TO X
AS PER DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

PAPER	SEMESTER	NATURE	CREDIT	PASSING MARKS (PERCENTAGE)					
				Internal (CIE)		University Exam		Total	
				Max	Min	Max	Min	Max	Min
Major Theory	VII to X	Credit Based (For Evaluation of SGPA & CGPA)	4 / 5	25	0 (0 %)	75	27 (36 %)	100	36 (36 %)
Major Practical	VII to X		4	25	0 (0 %)	75	27 (36 %)	100	36 (36 %)
Minor Theory	VII / VIII		4 / 5 / 6	25	0 (0 %)	75	27 (36 %)	100	36 (36 %)
Major Research Project	VIII & X [Conducted By]		8	25	0 (0 %) Supervisor	75	30 (40 %) Supervisor + External	100	40 (40 %)

NOTE:	If the student gets a research paper published from the Major Research Project in a UGC-CARE listed journal during the time of the Master's programme then she / he can be given additional 25 marks in the evaluation of the Major Research Project. The maximum marks obtained will be 100 only.

DISTRIBUTION OF CREDITS FOR COURSE STRUCTURE: FIRST, SECOND & THIRD YEAR OF HIGHER EDUCATION
AS PER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020

S. No.	SUBJECTS	CREDITS PER SEMESTER											
		FIRST YEAR				SECOND YEAR				THIRD YEAR			
		SEMESTER I		SEMESTER II		SEMESTER III		SEMESTER IV		SEMESTER V		SEMESTER VI	
		TH	PR	TH	PR	TH	PR	TH	PR	TH	PR	TH	PR
	FACULTY OF PHYSICAL SCIENCES												
1	Physics	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
2	Chemistry	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
	FACULTY OF LIFE SCIENCES												
3	Zoology	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
4	Botany	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
	FACULTY OF MATHEMATICAL SCIENCES												
5	Mathematics	4	2	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	4 + 4	2
6	Statistics	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
	FACULTY OF INDIAN LANGUAGE												
7	English	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
8	Hindi	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
9	Sanskrit	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
	FACULTY OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES												
10	Economics	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
11	History	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
12	Sociology	6	0	4	2	6	0	4	2	5 + 5	0	5 + 5	0
13	Philosophy	6	0	4	2	6	0	4	2	5 + 5	0	4 + 4	2
14	Political Science	4	2	6	0	4	2	6	0	4 + 4	2	5 + 5	0
15	Psychology	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
16	Defence & Strategic Studies	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
17	Physical Education	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
	FACULTY OF FINE ART AND PERFORMING ART												
18	Drawing & Painting	4	2	4	2	4	2	4	2	4 + 4	2	4 + 4	2
19	Music (Vocal/ Sitar/ Tabla)	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4 + 2	4	4 + 2

DISTRIBUTION OF PERIODS FOR COURSE STRUCTURE: FIRST, SECOND & THIRD YEAR OF HIGHER EDUCATION AS PER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020													
S. No.	SUBJECTS	PERIODS (HOURS) PER WEEK											
		FIRST YEAR				SECOND YEAR				THIRD YEAR			
		SEMESTER I		SEMESTER II		SEMESTER III		SEMESTER IV		SEMESTER V		SEMESTER VI	
		TH	PR	TH	PR	TH	PR	TH	PR	TH	PR	TH	PR
FACULTY OF PHYSICAL SCIENCES													
1	Physics	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
2	Chemistry	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
FACULTY OF LIFE SCIENCES													
3	Zoology	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
4	Botany	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
FACULTY OF MATHEMATICAL SCIENCES													
5	Mathematics	4	4	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	4 + 4	4
6	Statistics	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
FACULTY OF INDIAN LANGUAGE													
7	English	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
8	Hindi	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
9	Sanskrit	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
FACULTY OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES													
10	Economics	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
11	History	6	0	6	0	6	0	6	0	5 + 5	0	5 + 5	0
12	Sociology	6	0	4	4	6	0	4	4	5 + 5	0	5 + 5	0
13	Philosophy	6	0	4	4	6	0	4	4	5 + 5	0	4 + 4	4
14	Political Science	4	4	6	0	4	4	6	0	4 + 4	4	5 + 5	0
15	Psychology	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
16	Defence & Strategic Studies	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
17	Physical Education	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
FACULTY OF FINE ART AND PERFORMING ART													
18	Drawing & Painting	4	4	4	4	4	4	4	4	4 + 4	4	4 + 4	4
19	Music (Vocal/ Sitar/ Tabla)	2	8	2	8	2	8	2	8	4	8 + 4	4	8 + 4

AGRA COLLEGE, AGRA
NUMBER OF SECTIONS FOR MAJOR AND MINOR

SUBJECTS	SESSION	BOYS			GIRLS		
		FIRST YEAR	SECOND YEAR	THIRD YEAR	FIRST YEAR	SECOND YEAR	THIRD YEAR
English	Till 2020-21	2+4	1+3	1+2	2+5	2+3	1+2
	In 2021-22	4	1+3	1+2	4	2+3	1+2
	In 2022-23	4	4	1+2	4	4	1+2
	From 2023-24	4	4	3	4	4	3
Hindi	Till 2020-21	4+3	3+3	3+2	3+4	3+3	2+2
	In 2021-22	4	3+3	3+2	4	3+3	2+2
	In 2022-23	4	4	3+2	4	4	2+2
	From 2023-24	4	4	3	4	4	3
Economics	Till 2020-21 & From 2021-22	3	2	2	4	3	3
History		3	2	1	2	2	1
Sociology		2	2	1	2	2	1
Political Science		3	2	2	3	3	2
Psychology		2	1	1	3	2	2
Physical Education	Till 2025-26	1	1	1	1	1	1
	From 2026-27	2	2	1	2	2	1
Sanskrit	Till 2020-21 & From 2021-22	1	1	1	1	1	1
Philosophy		1	1	1	1	1	1
Defence & Strategic Studies		1	1	1	1	1	1
Drawing & Painting		1	1	1	1	1	1
Music		1	1	1	1	1	1

SUBJECTS	SESSION	BOYS + GIRLS		
		FIRST YEAR	SECOND YEAR	THIRD YEAR
Physics	Till 2020-21 & From 2021-22	8	4	4
Mathematics	Till 2020-21 & From 2021-22	8	4	4
Botany	Till 2020-21 & From 2021-22	6	3	3
Zoology	Till 2020-21 & From 2021-22	6	3	3
Chemistry	Till 2020-21 & From 2021-22	8+6	4+3	4+3
Statistics	Till 2020-21 & From 2021-22	1	1	1

स्नातक पाठ्यक्रम
बी.एससी. (बायोटेक)

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एससी. बायोटेक (प्रथमवर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को निम्नलिखित विषयों को अध्ययन करना है

(अ) अनिवार्य विषय – व्यवहारिक ज्ञान (Behavior Science)

(ब) एच्छिक विषय– 1. Bio Tech 2. Botany 3. Chemistry

पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय
पी. जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र

1. पत्रकारिता स्वरूप एवं विकास
2. समाचार संकलन, संपादन एवं लेखन
3. प्रेस कानून एवं प्रेस प्रबंधन
4. विशेषीकृत पत्रकारिता
5. जनसंचार सिद्धान्त, विज्ञापन एवं जन संपर्क
6. कम्प्यूटर सिद्धान्त एवं प्रयोग
7. प्रायोगिक कार्य / प्रोजेक्ट वर्क
8. प्रोजेक्ट मौखिकी

शिक्षा संकाय (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

द्विवर्शीय पाठ्यक्रम बी.एड. में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना होगा –

B.Ed. (First Year)

Course Contains Following Compulsory Subjects-

1. Childhood and Growing up.
2. Contemporary India and Education
3. Learning and Teaching.
4. Language Across the Curriculum.
5. Understanding Disciplines and School Subjects.
6. Pedagogy of School Subjects (Two Teaching Subjects)
7. Art and Aesthetics
8. Critical Understanding of ICT

Practical Work & Internship-I

B.Ed. (Second Year)

Course Contains Following Compulsory Subjects-

1. Knowledge and Curriculum.
2. Assessment for Learning.
3. Creating an Inclusive School.
4. Yoga Education.

Optional Subjects (Choose Any One Paper)-

1. Value Education.
2. Environmental Education.
3. Genders School and Society.
4. Guidance and Counseling.
5. Health and Physical Education

Practical Work & Internship-II

बी0बी0ए0, बी0बी0ए0 (लोजिस्टिक), बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम
(त्रिवर्षीय / 6 सेमेस्टर पाठ्यक्रम)

B.B.A 3 YEAR (6 SEMESTER)

The Bachelor of Business Administration (BBA) is a 3-year (6-semesteri full-time undergraduate program designed to provide fundamental management, leadership, and communication skills to early career professionals. It focuses on blending theoretical knowledge with practical industry exposure, covering areas like marketing, finance, HR, and analytics

Duration: 3 years (maximum 6 years in some institutions).

Eligibility: Generally 10-2 (Intermediate) or equivalent from a recognized board, often with 45-50% minimum marks.

Core Objectives: To develop strategic thinking, analytical skills, and professional competence in students, fostering a blend of managerial expertise.

Specializations: Often includes fields like Digital Business, Data Analytics Marketing, and Human Resource Management (HRM).

B.B.A LOGISTIC 3 YEAR (6 SEMESTER) AEDP COURSE

A BBA in Logistics (or Logistics & Supply Chain Management) is a three-year undergraduate program designed to equip students with the skills required to manage the movement, storage, and flow of goods and services from source to consumption. This program is increasingly popular due to the rapid growth of e-commerce, international trade, and infrastructure development, particularly in India.

Program Overview

Duration: 3 Years (6 Semesters).

Focus: Core management principles applied to supply chain networks, procurement, warehousing, and transportation.

Mode: Typically full-time, though distance education options exist.

Apprenticeship Embedment: Many programs are in collaboration with the Logistics Sector Skill Council (LSC) and include mandatory, paid apprenticeships in the final year.

B.C.A 3 YEAR (6 SEMESTER)

The Key Components of a BCA Prospectus:

Course Structure: Core subjects include Programming Languages (C, Java, Python), Database Management Systems (SQL, Oracle), Operating Systems, Software Engineering, Networking, and web technologies.

Objectives: The primary aim is to impart knowledge in various computer application areas, enabling students to handle IT challenges in the corporate world.

Duration & Structure: 3-year full-time program divided into six semesters, typically with continuous evaluation (assignments) and term-end examinations.

Eligibility: Generally, students who have completed 10+2 in any stream (often with mathematics or computer science) are eligible.

Career Opportunities: Graduates find roles as Mobile App Developers, Web Developers, System Analysts, Database Administrators, and IT Consultants.

Program Outcomes: Focus on developing IT professionals capable of applying computer science principles, software project management, and logical reasoning to solve business problems.

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
एम.ए. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)

कॉलेज में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है

1. हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)
2. अंग्रेजी साहित्य (English Literature)
3. संस्कृत (Sanskrit)
4. दर्शनशास्त्र (Pholosophy)
5. मनोविज्ञान (Psychology)
6. इतिहास (History)
7. राजनीतिशास्त्र (Political Science)
8. अर्थशास्त्र (Economics)
9. गणित (Mathematics)
10. चित्रकला (Drawing&Painting)

टिप्पणी–

(क) एम.ए. (अर्थशास्त्र) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु बी.ए. अथवा बी.एससी. में अर्थशास्त्र होना अनिवार्य है।

(ख) एम. ए. हिन्दी (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश हेतु बी.ए. स्तर पर हिन्दी साहित्य वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात रिक्त स्थान रहने पर बी.ए. में सामान्य हिन्दी विषय लिये हुए प्रत्याशियों के प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

(ग) एम.ए. पूर्वार्द्ध अंग्रेजी में प्रवेश हेतु बी.ए. स्तर पर अंग्रेजी साहित्य वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात रिक्त स्थान रहने पर बी.ए. में सामान्य अंग्रेजी विषय लिये हुए प्रत्याशियों के प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

Note- Candidates of M.A. History may offer only Modern History & Medieval History.

एम.एससी. (प्रथम तथा द्वितीय वर्ष)

कॉलेज में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है

भौतिक विज्ञान (Physics) – इलैक्ट्रोनिक्स (Electronics)

रसायन विज्ञान (Chemistry)	–	कार्बनिक (Organic), अकार्बनिक (Inorganic) भौतिक (Physical)
वनस्पति विज्ञान (Botany)	–	पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology), औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान (Industrial Microbiology)
जन्तु विज्ञान (Zoology)	–	मत्स्य (Fishes), सरीसृप एवं वन्य जीव (Reptiles & Wild Life) (Entomology)
गणित (Mathematics)	–	कप्यूटेशनल न्यूमैरीकल मैथड्स (Computational Numerical Methods)
सांख्यिकी (Statistics)	–	ऑपरेशन रिसर्च (Operational Research) विश्वसनीयता सिद्धान्त (Theory of Reliability)

नोट– ऐच्छिक विषय/प्रश्न पत्र प्रदान करने का आधार योग्यताक्रम होगा।

विधि संकाय

(1) एलएल.बी. (i) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (ii) पंचवर्षीय पाठ्यक्रम
(2) एलएल.एम. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

टिप्पणी— कोई विद्यार्थी विधि के अध्ययन के साथ अन्य स्नातकोत्तर अध्ययन नहीं कर सकेगा। उसका प्रवेश केवल एक वर्ष के लिए होगा। दूसरे वर्ष में पुनः प्रवेश लेना होगा।

शोध कार्य

कॉलेज में सभी संकायों के सभी स्नातकोत्तर विभागों में शोधकार्य कराये जाने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के प्रवेश के लिए अलग से (प्रवेश आवेदन—पत्र सहित) विवरण—पत्रिका कॉलेज कार्यालय में उपलब्ध है।

शोधार्थियों के लिए शिक्षण शुल्क

1. आगरा कॉलेज प्राध्यापकों के अतिरिक्त अन्य सभी शोधार्थी 1200/— (कला वर्ग) तथा 2400/— रू. (विज्ञान वर्ग) प्रति वर्ष देंगे।
2. जिन शोधार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, उनके द्वारा शिक्षण शुल्क न दिये जाने की स्थिति में उनकी छात्रवृत्ति में से वह शुल्क काट लिया जायेगा।

टिप्पणी— शोधकार्य के साथ कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम.ए., एम.एससी., बी.एड., एम.एड., एलएल.बी. अथवा एलएल.एम. की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

महिला विभाग

कॉलेज में बी.ए. एवं बी.एससी. (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) की कक्षाओं के लिए कॉलेज के अन्तर्गत ही एक महिला विभाग (Women's Wing) है, जिसका एक अलग कार्यालय है, जहाँ से छात्राएँ यथा समय विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त करती हैं। छात्राओं के लिए अलग छात्रावास की भी व्यवस्था है।